सत्यमेव जयते

स्प्रिंग की पहली गणना हेतु अनुदेश पुस्तिका

संदर्भ वर्ष 2023-24

जुलाई 2023-जून 2024

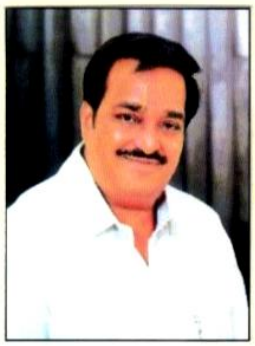


भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

सी आर पाटील
C R Paatil



सत्यमेव जयते

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister of Jal Shakti
Government of India

Message

Springs are a crucial source of water for millions of people living in the mountain ranges across India. In these mountainous areas, villages and hamlets are often located on ridges for strategic and safety reasons, where rivers flow through deep valleys, and glaciers are positioned higher up the mountains. Due to these geographical challenges, drawing water from rivers and glaciers is not economically viable. In such regions, local springs become the primary source of water for drinking, domestic use, and agriculture for both rural and urban communities.

These small but essential water resources play a critical role in addressing water scarcity in mountainous areas, especially when larger rivers are unable to meet the demand. Recognizing the importance of springs in sustaining water security in these regions, the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) is conducting the first-ever Spring Census in India, alongside the 7th Minor Irrigation (MI) Census, the 2nd Census of Water Bodies, and the 1st Census of Major & Medium Irrigation Projects, all under the centrally sponsored 'Irrigation Census' scheme.

To facilitate the smooth execution of the Spring Census, a comprehensive manual has been prepared, covering key concepts, definitions, methodology, frequently asked questions, and other essential guidelines. I trust that the concerned officials will utilize this manual effectively to ensure the collection of accurate and reliable data from the field.

C R Paatil

C R Paatil

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

Office : 210, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel: No. (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
E-mail : minister-jalshakti@gov.in

डॉ. राज भूषण चौधरी
Dr. Raj Bhushan Choudhary

सत्यमेव जयते

जल शक्ति राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110001



MESSAGE

Mountain springs are the primary source of water for rural households in the Himalayan region, and for many, the sole source of water. Both rural and urban communities rely on springs for drinking, domestic, and agricultural water needs. Despite their importance, springs have received inadequate attention and are facing threats, including declining discharge due to increased water demand, changing land use patterns, ecological degradation and erratic precipitation trends. To address this, a database on springs is essential for restoration, revival, and sustenance of springs.

In light of the importance of springs, I am happy to inform that the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation is undertaking the 1st Census of Springs, along with the 7th Minor Irrigation Census, 2nd Census of Water Bodies, and 1st Census of Major and Medium Irrigation Projects.

I hope the Manual will serve as a uniform guide for all States and Union Territories to follow during the census, ensuring high-quality data. The manual outlines concepts, definitions, and procedures for the 1st Census of Springs. The census shall be undertaken paperless, entirely in digital mode to ensure accuracy and efficiency.

(Dr. Raj Bhushan Choudhary)

215, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -**110 001**, 215, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
दूरभाष : (011) 23708419, 23718759, फैक्स : 011-23354496, Tel. : (011) 23708419, 23718759, Fax : 011-23354496
ई-मेल/E-mail : mos-mowr@nic.in

देवश्री मुखर्जी
Debashree Mukherjee
सचिव
SECRETARY



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

FOREWORD

Springs are the source of water from generations to millions of inhabitants in the mountain ranges across the country. Proximity of springs was the first and foremost criteria for settlement of villages and hamlets in the mountainous areas and hence local populace have been solely dependent on these springs for theirs daily water needs. Local people have developed traditional techniques and wisdom to manage these springs in olden days. As villages and hamlets expanded over time, the catchment areas of these springs decreased/degraded, leading to a subsequent reduction in discharge and degradation of the spring water quality. The rate of diminishing discharge and degrading quality of springs water have also been exacerbated by the changing climate which is significantly higher in mountainous areas than rest of the country.

In 2018, NITI Aayog acknowledged the importance of springs and took cognizance for the rapid drying/diminishing of these springs across the country particularly in Indian Himalayan Region (IHR) and constituted a working group on "Inventory and revival of springs in the Himalayas for water Security". The report revealed that the available secondary data on springs underestimate the actual counts of springs and hence the report emphasized on the urgent need of spring mapping and creation of Web-enabled database/Web portal on which springs can be mapped/tagged. This available database would be immensely useful to formulate effective policies, plannings and schemes for springshed management in the country in changing climate.

The Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti has been conducting census of Minor Irrigation (MI) since 1986-87. The census is being conducted under the centrally sponsored scheme 'Irrigation Census' which is a standalone component under the Umbrella Scheme- Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and other schemes. Six MI census have been conducted so far. Ministry had undertaken First Census of Water Bodies in convergence with the 6th MI Census with reference year 2017-18.

In view of the importance of springs in sustaining the water demand of a large portion of the country (about 15%), I am happy to inform that MI (Stat.), DoWR, RD & GR is undertaking the 1st Spring Census along with the forthcoming 7th MI and 2nd Water bodies censuses in the country. The census will be conducted entirely in digital mode, utilizing a mobile application, thereby eliminating the use of paper and resulting in significant savings in resources, including time and cost.

To ensure the smooth execution of the spring census, a comprehensive reference manual has been jointly prepared by the Scientists of Cell for Spring Studies (CeSS), National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee, and MI (Stat.), DoWR, RD&GR, Ministry of Jal Shakti. This collaborative effort involved consultations with various state and central government departments, NGOs, and domain experts through workshops, brainstorming sessions, and meetings. The manual has been enhanced with feedback from pilot testing of the mobile app, regional/state-level workshops, and the User Acceptance Test (UAT) of the mobile app. This document aims to assist field-level functionaries, primary workers, and enumerators in efficiently collecting data on the ground. The manual serves as a guide, outlining concepts, definitions, and procedures to be uniformly followed by all states and union territories during fieldwork. I hope that the concerned officials involved in the conduct of census will make full use of this document for collection of data of 1st Spring Census of the country.

(Debashree Mukherjee)

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 / Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23710305, 23715919, Fax : 011-23731553, E-mail : secy-mowr@nic.in, Website : http://www.mowr.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय	
1.	परिचय	ए1 - ए2
2.	पहली स्प्रिंग गणना की कवरेज, अवधारणाएँ और परिभाषाएँ	बी1 – बी6
3.	पहली स्प्रिंग गणना संचालन की कार्यप्रणाली	सी1 – सी9
4.	उपयोगकर्ता प्रबंधन वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए निर्देश	डी1 – डी21
5.	स्प्रिंग गणना शैडयूल भरने के लिए सामान्य निर्देश	ई1 - ई10
6.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	एफ1 – एफ2
	अनुलग्नक	
1.	भारत के विभिन्न राज्यों में जिला/उप-जिला/ब्लॉक/गांव की संख्या	i-iv
2.	जल निकाय के लिए "स्प्रिंग के रूप में स्वीकृत" और "स्प्रिंग के रूप में अस्वीकृत" चित्रण	v-xi
3.	स्प्रिंग की प्रथम गणना का शैडयूल	xii-xiv
4.	पहली स्प्रिंग गणना के शैडयूल के लिए सत्यापन जाँच	xv-xviii
5.	निधि का प्रावधान	xix-xxii
6.	मोबाइल की विशिष्टताएँ	xxiii
7.	स्क्रूटनी जाँच बिंदु	xxiv
8.	अतिरिक्त सत्यापन जाँच बिंदु	xxv

संक्षिप्तियाँ:

बी.एल.ओ.	ब्लॉक स्तर अधिकारी
सी.जी.डब्ल्यू.बी.	केंद्रीय भूमिजल बोर्ड
सी.डब्ल्यू.सी.	केंद्रीय जल आयोग
डी.ई.एस.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय
डी.एल.ओ.	जिला स्तरीय अधिकारी
डी.पी.ए.पी.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. और जी.आर.	जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण
एफ.ओ.डी.	फील्ड ऑपरेशन डिवीजन
जी.पी.एस.	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आई.एच.आर.	भारतीय हिमालयी क्षेत्र
एल.जी.डी.	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एम.आई.	लघु सिंचाई
एन.आई.एच.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एन.आई.टी.आई.	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संगठन
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आर. एंड डी.	अनुसंधान और विकास
एस.ए.एस.ए.	राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण
एस.एल.ओ.	राज्य स्तरीय अधिकारी
एस.डब्ल्यू.आई.सी.	राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र
यू.ए.टी.	यूजर (उपयोगकर्ता) स्वीकृति परीक्षण
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश

अध्याय 01:

परिचय

1.1 परिचय

1.2 स्प्रिंग, सतह पर भूजल का प्रत्यक्षीकरण, देश भर के पर्वतीय क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। नीति आयोग के कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में लगभग 200 मिलियन भारतीय स्प्रिंग पर निर्भर हैं – मुख्यतः भारतीय हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट (सह्याद्रि पर्वतमाला, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है), पूर्वी घाट (उत्तरी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) और मध्य भारत (सतपुड़ा और विंध्य पर्वत) – जिसका अर्थ है कि भारत की 15% से अधिक आबादी अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्प्रिंग पर निर्भर है।

1.3 पर्वतीय क्षेत्रों में, गाँव/बस्तियाँ रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थानीय चोटियों पर होती हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ गहरी घाटियों में बहती हैं और ग्लेशियर ऊँचाई पर स्थित होते हैं। अतः इन दोनों स्रोतों से जल प्राप्त करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्प्रिंग ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों के लिए पीने, घरेलू और कृषि जल की जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त, ये स्प्रिंग कई नदियों में जल प्रवाह प्रदान करते हैं और सूखे के मौसम में उन्हें बनाए रखते हैं और शायद ही कोई नदी हो जिसे ये स्प्रिंग पोषित न करते हों। जब बड़े नदी स्रोत भी जल संकट को हल नहीं कर पाते, तब ये छोटे जल स्रोत भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जल संकट के समाधान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.4 स्प्रिंग के महत्व को देखते हुए 2018 में जारी "हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए स्प्रिंग का सूचीकरण और पुनरुद्धार" पर नीति आयोग कार्य दल- I की रिपोर्ट में स्प्रिंग की मैपिंग करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया था। रिपोर्ट में भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आई.एच.आर.) में स्प्रिंग के सूखने की स्थिति की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि आधे से अधिक बारहमासी स्प्रिंग या तो सूख चुके हैं या मौसमी बन गए हैं, जिससे सैकड़ों हिमालयी गांवों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि स्प्रिंग से संबंधित जो द्वितीयक आंकड़े उपलब्ध हैं, वे वास्तविक स्प्रिंग की संख्या को कम आंकते हैं। अतः रिपोर्ट में स्प्रिंग के सटीक मानचित्रण और वेब-सक्षम डाटाबेस/वेब पोर्टल के निर्माण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया, जिस पर सभी राज्यों, सरकारी विभागों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और स्प्रिंग पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्प्रिंग का मानचित्रण/टैगिंग की जा सके।

1.5 इसके अतिरिक्त जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति (2022-23) की 23वीं रिपोर्ट में डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. से हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंग के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है क्योंकि लाखों लोग अपनी पीने, घरेलू और कृषि जल जरूरतों के लिए केवल स्प्रिंग पर निर्भर हैं। डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. ने देश में स्प्रिंगशेड प्रबंधन कार्य में तेजी लाने के लिए "देश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आई.एच.आर.) के स्प्रिंगशेड मानचित्रण और स्प्रिंगशेड आधारित वाटरशेड प्रबंधन योजना" पर संचालन समिति का गठन किया। समिति ने देश में स्प्रिंगशेड प्रबंधन में तेजी लाने में पर्याप्तता और कमी का पता लगाया और पाया कि देश में स्प्रिंग और स्प्रिंगशेड मैपिंग के लिए कोई व्यवस्थित तंत्र, एक समान प्रारूप और तकनीक नहीं है, जो देशमें स्प्रिंगशेड प्रबंधन में तेजी लाने के लिए पहली और सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए, समिति ने "भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रिंगशेड प्रबंधन

https://mowr.nic.in/core/WebsiteUpload/2024/Resource%20book_Springshed_Management_Final.pdf" पर एक स्रोत पुस्तिका तैयार की, जो देश में स्प्रिंग और स्प्रिंगशेड मैपिंग के लिए एजेंसियों/विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।

1.6 देश के पर्वतीय भागों में जल सुरक्षा को बनाए रखने में स्प्रिंग के महत्व को देखते हुए, डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. और जी.आर. ने केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई गणना' के तहत 7वीं एम.आई. गणना और जल निकायों की दूसरी गणना के साथ-साथ देश की पहली स्प्रिंग गणना शुरू करने का निर्णय लिया।

*****

अध्याय 02:

पहली स्प्रिंग गणना की कवरेज, अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

2.0 सामान्य

2.0.1 पहली स्प्रिंग गणना को 7वीं लघु सिंचाई गणना के साथ समन्वय में संचालित किया जाएगा, जिसमें 2023-24 का कृषि वर्ष संदर्भ वर्ष होगा। यह गणना पूरी तरह से डिज़िटल माध्यम से की जाएगी, डेटा संग्रहण मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, और डेटा सत्यापन एवं निगरानी वेब एप्लिकेशन के माध्यम से की जाएगी। गणना की वेब एप्लिकेशन में वास्तविक समय में प्रगति दर्शाने वाला डैशबोर्ड भी समाहित किया गया है।

2.0.2 पहली स्प्रिंग गणना देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी स्प्रिंग की पूर्ण गणना है। यह गणना उन स्प्रिंग को भी कवर करेगी जो हाल के वर्षों (पिछले 5–10 वर्षों) में सूख चुके हैं। ऐसे मामलों में, गणनाकार/बी.एल.ओ. को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्प्रिंग के सूखने का प्रमाण उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए — जैसे कि स्प्रिंग की संरचना का फ़ोटो, जिससे यह स्पष्ट हो कि वहां कभी स्प्रिंग था।

2.0.3 पहली स्प्रिंग गणना के लिए संदर्भ वर्ष 2023-24 का कृषि वर्ष निर्धारित किया गया है। इस गणना का फील्ड वर्क गणना प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। गणना के दौरान जानकारी पहली स्प्रिंग गणना के निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से एकत्र की जाएगी।

2.0.4 पहली स्प्रिंग गणना ग्रामीण एवं शहरी — दोनों क्षेत्रों में की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में गणना की प्राथमिक क्षेत्रीय इकाई क्रमशः गांव और वार्ड होंगे। जो स्प्रिंग वन क्षेत्रों में स्थित हैं, उन्हें सबसे निकटवर्ती गांव या वार्ड के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। गणना में देशभर की सभी प्रशासनिक इकाइयों की सूची हेतु स्थानीय सरकार निर्देशिका कोड (एल.जी.डी.) का उपयोग किया जाएगा।

क्षेत्र और कवरेज

2.0.5 पहली स्प्रिंग गणना लक्षद्वीप को छोड़कर सम्पूर्ण भारतीय संघ में संचालन की जाएगी । इसके अतिरिक्त, वे क्षेत्र जो संपूर्ण वर्षभर दुर्गम रहते हैं और/या जहाँ की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जानकारी एकत्र करना असंभव है, उन्हें भी इस गणना के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

गणना का फ्रेम

2.0.6 पहली स्प्रिंग गणना के लिए स्थानीय सरकार निर्देशिका कोड्स (एल.जी.डी.) का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम.एम.पी.) के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट (पी.ई.एस.) के एक भाग के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। स्थानीय सरकार निर्देशिका (एल.जी.डी.) का मुख्य उद्देश्य एक मानकीकृत स्थान निर्देशिका का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने-अपने प्रशासनिक इकाइयों की अद्यतन (जैसे ज़िले, उप-ज़िले, गांव, ब्लॉक, स्थानीय स्वशासन निकाय और उनके संबंधित ग्रामीण/शहरी वार्ड) को भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (ओ.आर.जी.आई.), गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के सहयोग से बनाए रख सकें।

2.0.7 मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/ केंद्र राज्य क्षेत्रों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में मानक स्थान कोड के रूप में एल.जी.डी. कोड को अपनाने से सभी ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में डेटा का आदान-प्रदान सुचारू रूप से होगा और इस प्रकार सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

2.0.8 यह गणना पूर्णतया डिज़िटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें राज्य/ज़िला/उप-ज़िला (विकास खंड) / गांवों पर आधारित एल.जी.डी. कोड स्वचालित रूप से गणनाकार के मोबाइल एप्लिकेशन में भर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए 12.02.2025 तक के एल.जी.डी. कोड को गणना के फ्रेम के रूप में लिया जाता है। एल.जी.डी. कोड में प्रयुक्त पदानुक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य / ज़िला / उप-ज़िला (विकास खंड) / गांव, शहरी क्षेत्रों में राज्य / ज़िला / नगर / वार्ड होगा।

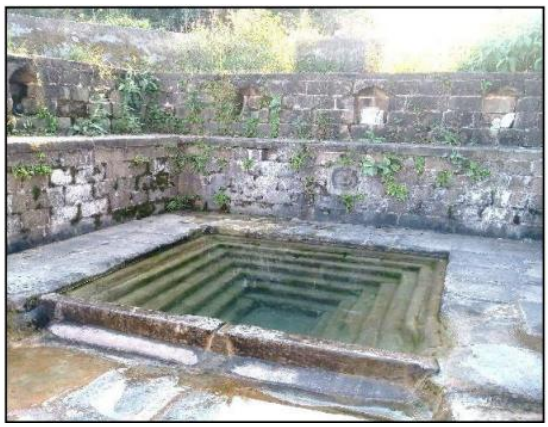
2.0.9 मास्टर फ्रेम को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पुष्टि के लिए साझा किया गया है और यदि कोई गांव/वार्ड एल.जी. डायरेक्टरी में छूट गए हों, तो उन्हें बाद में फ्रेम में शामिल किया जाएगा। मास्टर फ्रेम के अनुसार, देश में 6,67,220 गांव और 91,458 वार्ड हैं। उप-ज़िला (ब्लॉक)/नगर के भीतर डुप्लिकेट गांवों/वार्डों की भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई है, ताकि गणनाकारों को उन गांवों/वार्डों में नियुक्त करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार गांवों और वार्डों की संख्या **अनुलग्नक- I** में दी गई है।

2.1 उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग की परिभाषा

2.1.1 स्प्रिंग पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से होने वाले भूजल का एक संकेंद्रित बहाव है। सामान्य तौर पर स्प्रिंग मुक्त प्रवाह या रिसाव (सीप) स्प्रिंग होते है।



चित्र 2.1 मुक्त प्रवाह स्प्रिंग



चित्र 2.2 सीप स्प्रिंग

स्प्रिंग गणना के लिए, स्प्रिंग के मानचित्रण के दौरान निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए,

2.1.2 सभी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न भूजल प्रवाहों को विसरित निर्वहन के साथ स्प्रिंग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

- **सीपेज :-** *इसका तात्पर्य उनसे है जहाँ कोई विविक्त प्रवाह बिंदु निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसे कि नदी, झील या नाले के किनारों से भूजल का रिसाव होना, जिससे एक गीला और दलदली क्षेत्र बनता है।*



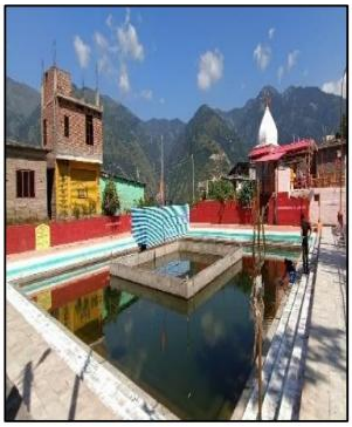
चित्र 2.3 विवित्त निर्वहन (सीपेज, स्प्रिंग नहीं है) के कारण जलभराव

• **आर्द्रभूमि:-** *जिन क्षेत्रों में जल स्तर सतह के पास है, वहां भूजल फैलकर बहता है, जिससे दलदली या दलदली पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जो विशिष्ट पौधों और पशु जीवन का समर्थन करता है।*



चित्र 2.4 दलदली आर्द्रभूमि (स्प्रिंग नहीं है)

(1) स्प्रिंग गणना में तालाब और कृत्रिम स्थितियाँ, जैसे खोदे गए कुएँ, आर्टिसियन कूप और खुदाई में दिखाई देने वाला भूजल शामिल नहीं होना चाहिए।







चित्र 2.5 तालाब (स्प्रिंग नहीं है) **चित्र 2.6** खोदा गया कुआं (स्प्रिंग नहीं है) **चित्र 2.7** आर्टिसियन कूप (स्प्रिंग नहीं है)

2.1.3 प्राकृतिक स्प्रिंग जिनके आउटलेट पर उनके प्रवाह को निर्देशित/मार्गदर्शित करने के लिए पाइप लगाए गए हैं, उन्हें स्प्रिंग के मानचित्रण में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें पाइपलाइन जल आपूर्ति से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।





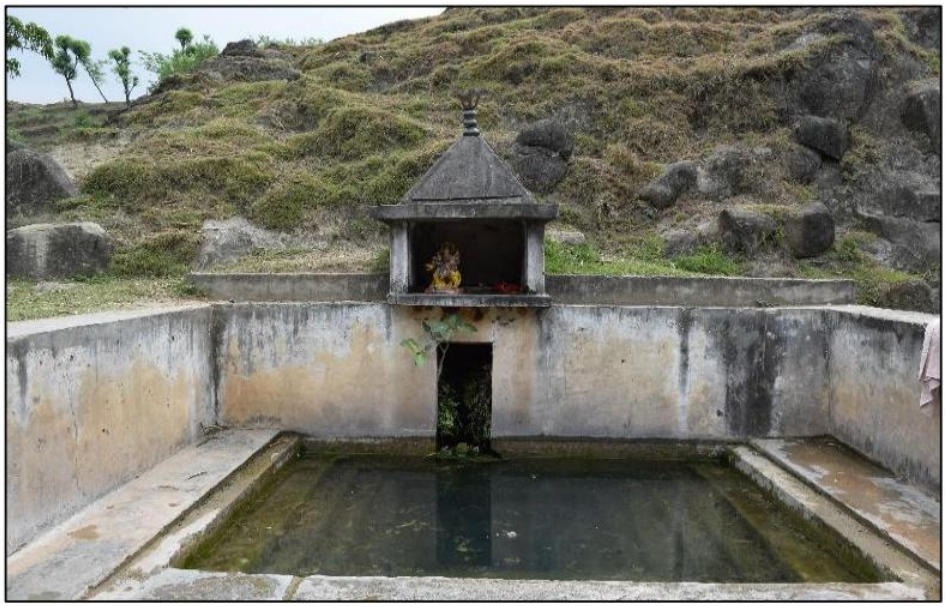
चित्र 2.8 पाइप आउटलेट वाले स्प्रिंग

हालाँकि, निम्नलिखित को स्प्रिंग नहीं माना जाना चाहिए:

- कृत्रिम टैंकों और पंपिंग योजनाओं से जुड़े पाइप।
- आसपास या निकटवर्ती नदियों, नालों या स्प्रिंग से पानी खींचने वाले पाइप।

नोट: *गणनाकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि पाइप में जो पानी आ रहा है वह अचानक पृथ्वी से रिस रहा हो और पाइप की भूमिका केवल रिसने वाले पानी को निर्देशित करना हो।*

2.1.4 मुक्त प्रवाह वाले स्प्रिंग के अतिरिक्त, जो संकेन्द्रित प्रवाह की विशेषता रखते हैं, छोटे और स्थानीय भूजल रिसाव होते हैं जो पारगम्य तलछट या चट्टान में दरारों के माध्यम से होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल के छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे, उत्तराखंड में नौला,हिमाचल प्रदेश में बावली,जम्मू और कश्मीर में बावली/बावरी, इनको भी स्प्रिंग गणना में शामिल किया जाना चाहिए। स्प्रिंग मानचित्रण के दौरान इन्हें अन्य बड़ी संरचनाओं जैसे कि सीढ़ीदार कुओं (जैसे, नई दिल्ली में अग्रसेन की बावली, गुजरात में रानी की वाव, आदि) के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।



चित्र 2.9 जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में बाउली/बावरी

2.2 भारत के विभिन्न राज्यों में स्प्रिंग का स्थानीय नामकरण

2.2.1 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रिंग को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय नामकरण में उल्लेखनीय भिन्नता मौजूद है। परिणामस्वरूप, स्प्रिंग मानचित्रण अभ्यास करते समय स्थानीय लोगों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट स्थानीय पदनामों को शामिल करना उचित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रिंग के लिए लोकप्रिय नामकरण की एक 'गैर-विस्तृत' सूची निम्न दर्शाई गई है:

तालिका 2.1 भारत के विभिन्न राज्यों में स्प्रिंग का स्थानीय नामकरण

क्र.सं.	**राज्य**	**स्प्रिंग का स्थानीय नामकरण**
1	अरुणाचल प्रदेश	आदि जनजाति के लोगों द्वारा हिकुर, और न्याशी जनजाति द्वारा सदांग
2	असम	ऊह
3	हिमाचल प्रदेश	पनिहार, नाडु, बावड़ी, छारेडू
4	जम्मू और कश्मीर	चश्मा, नाग, बावली
5	कर्नाटक	नीरीना बुग्गे, करणजी नीरू, ओरवु
6	केरल	जलधारा, ओट वेल्लम
7	लद्दाख	चुमिक
8	महाराष्ट्र	जरा या जारा
9	मणिपुरी	इफुत, मैतेई लोगों द्वारा
10	मेघालय	गारो जनजातियों द्वारा चिमिक
11	मिजोरम	सिह
12	नागालैंड	कोहिमा क्षेत्र में डज़ुलुओ, ज़ुन्हेबोटो क्षेत्र में अज़ुकिखी, फ़ेक क्षेत्र में दज़ुरी, और

		वोखा क्षेत्र में त्चुलान
13	सिक्किम	धारा, उमरे को पानी (नेपाली)
14	त्रिपुरा	हथाई-नी स्वदेशी लोगों द्वारा, और बंगाली लोगों द्वारा झरना
15	उत्तराखंड	कुमाऊं क्षेत्र में नौला, पनेरा, और गढ़वाल क्षेत्र में धारा, पनेरा

2.2.2 इकाई को "स्प्रिंग के रूप में स्वीकृत" और "स्प्रिंग के रूप में अस्वीकृत" दर्शाने वाली विस्तृत सूची वास्तविक स्प्रिंग के मानचित्रण में गणनाकारों की मदद करने के लिए **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

****

अध्याय 03:

पहली स्प्रिंग गणना संचालन की कार्यप्रणाली

3.0 कार्यप्रणाली

3.0.1 स्प्रिंग की पहली गणना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से की जाएगी, जिससे कागज़-आधारित डेटा संग्रह की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। दोनों गणनाओं के लिए गणना की अंतिम इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहरी क्षेत्रों में वार्ड है। सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल विभागों को राज्य स्तरीय अधिकारी (एस.एल.ओ.), जिला स्तरीय अधिकारी (डी.एल.ओ.), ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) और गणनाकार नियुक्त करने होंगे। एस.एल.ओ. जिला स्तर पर यूजर खाते बनाने के लिए उत्तरदायी होगा, जो ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचेगा और वे बाद में गाँवों को गणनाकारों को आबंटित करेंगे। प्रत्येक गाँव/वार्ड को एक ही गणनाकार को आबंटित किया जाएगा, ताकि कोई दोहराव न हो।

3.0.2 एक ब्लॉक/उप-जिले के लिए एक से अधिक यूजर आई.डी. बनाने का प्रावधान होगा। जब जिला स्तर अधिकारी (डी.एल.ओ.) द्वारा ब्लॉकों की यूजर आई.डी. बनाई जाएगी, तब एक एक्सेल/पी.डी.एफ. शीट दिखाई देगी जिसमें ब्लॉकों के नाम और संबंधित ब्लॉकों में गांवों की संख्या प्रदर्शित होगी। ब्लॉक में गांवों की संख्या के अनुसार या तो एक ब्लॉक के लिए एक यूजर आई.डी. या उसी ब्लॉक के लिए एक से अधिक यूजर आई.डी. बना सकते हैं। 50 गांवों तक के ब्लॉक के लिए केवल एक ही यूजर आई.डी. बनाई जाएगी। इसी तरह, 1-100 गांवों के लिए डी.एल.ओ. के पास ब्लॉक के लिए अधिकतम दो यूजर आई.डी. बनाने का विकल्प होगा, हालांकि यह डी.एल.ओ. पर निर्भर है कि वह या तो एक ब्लॉक या उप-जिले के लिए एक से अधिक आई.डी. बनाना चाहता है या एकल यूजर आई.डी. के साथ जाना चाहता है। इस तरह से ब्लॉक स्तरीय यूजर आई.डी. का निर्माण 50 गांवों के गुणकों पर किया जाएगा।

3.0.3 गणनाकार सर्वेक्षण की शुरुआत प्रत्येक गाँव के अंतर्गत आने वाले सभी स्प्रिंग्स का सर्वेक्षण करके करेगा। जो स्प्रिंग्स जंगल क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें निकटतम गाँव के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग डेटा संग्रह के लिए किया जाएगा, जिसमें गणनाकारों को प्रत्येक योजना के अक्षांश/देशांतर और तस्वीरों को कैप्चर करना होगा। जबकि जाँच डिज़िटल रूप से की जाएगी, सत्यापन एन.आई.एच. और एन.आई.सी. द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को यह डेटा 6 महीनों के भीतर एकत्रित करना होगा, जिसके बाद इसे केंद्रीय स्तर पर आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा।

3.0.4 जब फील्ड कार्य चल रहा हो, उस दौरान निरीक्षण और जाँच निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा,

i. ब्लॉक/उप-जिला स्तर अधिकारी

ii. जिला स्तर अधिकारी

iii. राज्य स्तर अधिकारी

3.0.5 राज्य और केंद्रीय टीम भी राज्य का दौरा करेगी और फील्ड वर्क की गुणवत्ता की जाँच करेगी।

3.1 कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

3.1.1 प्रत्येक राज्य में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एमआई और जल निकाय गणना के लिए नोडल विभाग के सचिव करेंगे और सी.डब्ल्यू.सी., राजस्व, सिंचाई, जल संसाधन, पंचायती राज, राज्य योजना, डी.ई.एस., ग्रामीण विकास विभाग और एन.एस.एस.ओ. (एफओडी) के राज्य प्रमुख इसके सदस्य होंगे। गणना कार्यों के दौरान तकनीकी इनपुट प्रदान करने और राज्य नोडल विभाग का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य के प्रभारी सी.डब्ल्यू.सी. के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तकनीकी उप समिति बनाई जाएगी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र (एस.डब्ल्यू.आई.सी.) जहां भी स्थापित हो, का एक प्रतिनिधि भी इस समिति का सदस्य होगा। स्प्रिंग पर विचार करते हुए, समिति के अध्यक्ष अन्य संबंधित राज्य विभागों जैसे भूजल विभाग, भूवैज्ञानिक विभाग, मृदा और जल संरक्षण विभाग आदि के प्रतिनिधियों को भी सहयोजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की गणना और स्प्रिंग की गणना के लिए नोडल विभागों के प्रतिनिधि संचालन समिति के साथ-साथ तकनीकी उप समिति में भी होने चाहिए।

3.1.2 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियमपुस्तक को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार कर सकते हैं।

3.1.3 राज्य एवं जिला स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के गणना आयुक्तों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अभियान समय पर क्रियान्वित किया जाए।

3.2 प्रक्रिया प्रवाह

3.2.1 राज्य, जिला, ब्लॉक और गणनाकार स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का प्रवाह, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग के लिए नीचे विस्तार से दिया गया है।

3.2.2 राज्य स्तर

राज्य स्तर अधिकारी वेब एप्लिकेशन में लॉगिन करेंगे, तो एक बार की प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें ओ.टी.पी. के माध्यम से पुष्टि की जाएगी, जो ई.मेल. और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।

3.2.2.1 राज्य स्तर अधिकारी को जिला स्तर यूजर बनाने से पहले प्रत्येक जिले के लिए अधिकारी नियुक्त करने होंगे। वेब एप्लिकेशन पर यूजर क्रिएशन के दौरान, उस अधिकारी का ई.मेल. और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए जिला लॉगिन आई.डी. बनाई जाएगी।

3.2.2.2 बी.एल.ओ. द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्स डी.एल.ओ. एबं एस.एल.ओ. के खाते पर भी उपलब्ध होंगे। उन सूचियों की जांच की जा सकती है तथा डी.एल.ओ. स्तर पर आवश्यक संशोधनों के लिए उन्हें बी.एल.ओ. को वापस भेजा जा सकता है।

3.2.2.3 एस.एल.ओ. डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक क्षेत्र (रैंडम फील्ड) निरीक्षण भी कर सकते हैं।

3.2.2.4 एस.एल.ओ. स्तर प्रक्रिया प्रवाह नीचे दर्शाया गया है,



3.2.3 जिला स्तर

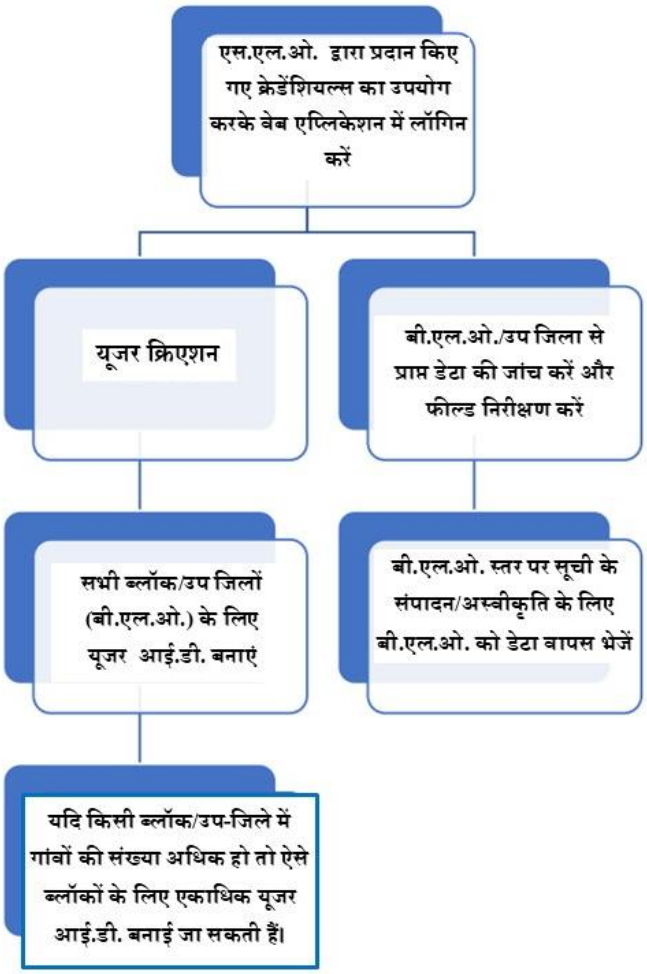
एस.एल.ओ. द्वारा प्रदान किए गए यूजर आई.डी. और पासवर्ड की मदद से जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा वेब एप्लिकेशन में लॉगिन करते समय, ई.मेल. और मोबाइल नंबर (जैसा कि लॉगिन बनाते समय एस.एल.ओ. द्वारा दर्ज किया गया है) पर प्राप्त ओ.टी.पी. की मदद से एक बार प्रमाणीकरण किया जाएगा।

3.2.3.1 जिला स्तर अधिकारी को वेब एप्लिकेशन पर गणना के लिए यूजर क्रिएशन से पहले प्रत्येक ब्लॉक/उप-जिले के लिए अधिकारी नियुक्त करने होंगे। वेब एप्लिकेशन पर यूजर क्रिएशन करते समय उस अधिकारी का ई.मेल. और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके लिए ब्लॉक/उप-जिले की लॉगिन आई.डी. बनाई जा रही है।

3.2.3.2 डी.एल.ओ. ब्लॉक/उप-जिले के लिए एक यूजर आई.डी. या ब्लॉक में गांवों की संख्या के अनुसार एक ही ब्लॉक/उप-जिले के लिए एक से अधिक यूजर आई.डी. बना सकते हैं। 50 गांवों तक के ब्लॉक के लिए केवल एक यूजर आई.डी. होगी। इसी तरह, 1-100 गांवों के लिए डी.एल.ओ. के पास ब्लॉक के लिए दो यूजर आई.डी. बनाने का विकल्प होगा। इस तरह 50 गांवों के गुणकों पर ब्लॉक स्तरीय यूजर आई.डी. का निर्माण किया जाएगा।

3.2.3.3 बी.एल.ओ. द्वारा प्रस्तुत सूचियों की जांच की जा सकती है और इसे बी.एल.ओ. स्तर पर आवश्यक संशोधनों के लिए बी.एल.ओ. को वापस किया जा सकता है। डी.एल.ओ. डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रैंडम फील्ड निरीक्षण भी कर सकते हैं।

3.2.3.4 डी.एल.ओ. स्तर की प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है|



3.2.4 ब्लॉक स्तर

डी.एल.ओ. द्वारा प्रदान की गई यूजर आई.डी. और पासवर्ड की मदद से बी.एल.ओ. द्वारा वेब एप्लिकेशन में लॉगिन करते समय ई.मेल. और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की मदद से एक बार प्रमाणीकरण किया जाएगा (जैसा कि लॉगिन बनाते समय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है)

3.2.4.1 गणना के वेब एप्लिकेशन पर यूजर क्रिएशन से पहले ब्लॉक / उप-जिला स्तर के अधिकारी को प्रत्येक गांव के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा। वेब एप्लीकेशन पर यूजर क्रिएशन करते समय उस गणनाकार का ई.मेल. दर्ज करना होगा जिसके लिए लॉगिन आई.डी. बनाई गई है।

3.2.4.2 बी.एल.ओ. को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ब्लॉक के किसी भी गांव में कोई स्प्रिंग न छूटा हो। चूंकि स्प्रिंग आमतौर पर पहाड़ी स्थलाकृति में पाए जाते हैं, इसलिए बी.एल.ओ. को उस ब्लॉक के "स्प्रिंग उपलब्ध नहीं" श्रेणी में रखे जाने वाले गांवों का विवेकपूर्ण चयन करना होगा।

हालांकि, ऐसा निर्णय लेने से पहले एस.एल.ओ. स्थानीय संबंधित एजेंसियों से परामर्श करने के बाद ऐसे गांवों/ब्लॉकों/जिलों को संकलित करेगा और राज्य की राज्य स्तरीय संचालन समिति/तकनीकी उप-समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

3.2.4.3 प्रत्येक गांव या वार्ड को यह सुनिश्चित करते हुए एक निश्चित समय में एक ही गणनाकार को सौंपा जाएगा कि कोई भी गांव या वार्ड एक से अधिक गणनाकारों को नहीं सौंपा गया है। लेकिन एक ही गणनाकार को एक से अधिक गांव या वार्ड सौंपे जा सकते हैं। यदि गणनाकार में कोई बदलाव होता है, तो खाता नए गणनाकार को पुनः सौंपा जा सकता है।

3.2.4.4 गणनाकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचियों की जांच की जा सकती है और यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पुनः संपादन के लिए वापस भेजा जा सकता है। जांच के मानदंड जांच अनुभाग के अंतर्गत दिए गए हैं। जांच के अतिरिक्त, बी.एल.ओ. को डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रैंडम फील्ड निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा।

3.2.4.5 बी.एल.ओ. को शेड्यूल्स को संपादित करने, वापस करने, अस्वीकार करने/हटाने का अधिकार होगा, ऐसे कार्य जिन्हें सावधानीपूर्वक निष्पादित किया जाना चाहिए। एक गांव को तब अंतिम माना जाता है जब बी.एल.ओ. सत्यापन और यदि आवश्यक हो तो क्षेत्र निरीक्षण के बाद गांव के सूची डी.एल.ओ. को अग्रेषित करता है।

3.2.4.6 बी.एल.ओ./उप-जिला स्तर की प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:



3.2.5 गणनाकार स्तर

गणनाकार ई.मेल. ओ.टी.पी. सत्यापन पूरा करने के बाद मोबाइल ऐप तक पहुँचेगा, जो केवल पहले लॉगिन पर आवश्यक होगा।

3.2.5.1 डेटा संग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले गणनाकार को मोबाइल एप्लिकेशन में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

3.2.5.2 गणनाकार को अपने क्षेत्राधिकार के सभी गाँवों/वार्डों का दौरा करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी कवरेज की गई है। उसे गाँव के अधिकारियों, जानकार लोगों, जल उपयोग संघों और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि वह शैडयूल के संबंधित क्षेत्रों को सही तरीके से भर सके। गणना का उद्देश्य स्थानीय लोगों/निवासियों को समझाया जाना चाहिए ताकि उनका विश्वास प्राप्त किया जा सके और विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जा सके। मोबाइल एप्लिकेशन में शैडयूल भरने के बाद, गणनाकारों को पूर्ण शैडयूल अपने पर्यवेक्षक को जांच के लिए सबमिट करने होंगे।

3.2.5.3 गणनाकार स्तर प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिया गया है:



3.3 फील्ड वर्क

3.3.1 पहली स्प्रिंग गणना आयुक्त के समग्र प्रभार में की जाएगी, जो संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के नोडल विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। फील्डवर्क या तो नोडल विभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा या किसी अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा/आउटसोर्स किया जाएगा, या फिर किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाएगा/आउटसोर्स किया जाएगा, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार उपयुक्त समझे, और इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित किया जाएगा। हालांकि, पूरी गणना संचालन प्रक्रिया में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का गणना आयुक्त भारत सरकार के संदर्भ में केंद्रीय बिंदु होगा और राज्य नोडल अधिकारी (एस.एन.ओ.) के लिए मानदेय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

3.3.2 डेटा संग्रह का प्राथमिक कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गणनाकारों द्वारा किया जाएगा।

3.3.3 डेटा संग्रह शुरू करने से पहले गणनाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मोबाइल ऐप में लॉग इन हैं, जिसके लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। व्यापक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए गणनाकारों को गांव के भीतर/आस-पास के सभी स्प्रिंग की पहचान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, स्थानीय लोगों और पटवारियों से सहायता की आवश्यकता होती है।

3.3.4 प्राथमिक गणनाकार को गांव के अधिकारियों/जानकार लोगों/जल उपयोग केंद्रों से भी पता लगाना चाहिए कि गणना करने के लिए उसे आबंटित गांवों के भीतर या आस-पास के स्प्रिंग की पहचान कैसे की जाए।

3.4 जांच

3.4.1 डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और कार्य को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के अधिकारियों को तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला/राज्य मुख्यालय पर और केंद्र के अधिकारियों को डेटा संग्रहण अवधि के दौरान नियमित रूप से फील्ड दौरे/निरीक्षण करने चाहिए और फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना चाहिए।

3.4.1.1 **बी.एल.ओ. स्तर पर:** बी.एल.ओ. उन गाँवों के सूची को डी.एल.ओ. को अग्रेषित कर सकते हैं, जिनमें कोई भी फेल्ड वार्निंग चेक नहीं है। ब्लॉक स्तर अधिकारी कम से कम 10% या 50 स्प्रिंग्स (जो भी अधिक हो) का दौरा करेंगे, ताकि एकत्र किए गए डेटा की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्प्रिंग्स एकत्रित न हों और एक सामान्य दूरी पर फैले हों। पर्यवेक्षक को सलाह दी जाती है कि वे गणनाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी शेड्यूल्स की पूरी तरह से समीक्षा करें और केवल उन स्प्रिंग्स की जाँच करें जिन्हें फील्ड दौरे के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता है।

3.4.1.2 यदि बी.एल.ओ. एक सूची को संपादन के लिए गणनाकार को वापस भेजता है, लेकिन गणनाकार इसे 10 कार्य दिवसों के भीतर बी.एल.ओ. को वापस नहीं भेजता, तो बी.एल.ओ. उस सूची को डी.एल.ओ. को अग्रेषित कर सकता है। इसके बाद, इस सूची को गणनाकार के द्वारा संपादित करने का कोई विकल्प नहीं होगा। एक संदेश गणनाकार को दिखाई देगा: "संपादन की अनुमति नहीं है - सूची डी.एल.ओ. को भेज दी गई है"।

3.4.1.3 **डी.एल.ओ. स्तर पर:** जिला स्तर अधिकारी को जिले के सभी ब्लॉकों में से कम से कम 10% कुल स्प्रिंग्स या 50 शेड्यूल्स, जो भी अधिक हो, की सटीकता से जांच करनी होगी।

3.4.1.4 जब बी.एल.ओ. द्वारा सूची डी.एल.ओ. को प्रस्तुत की जाती है, तो बी.एल.ओ. डी.एल.ओ. /राज्य/केंद्र अधिकारी द्वारा एक ही समय में इसकी जांच की जा सकती है। सूची डी.एल.ओ./एस.एल.ओ./केंद्र यूज़रों के खातों में उपलब्ध होगा और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें इसे बी.एल.ओ. स्तर पर वापस भेजने का विकल्प होगा। केंद्रीय स्तर पर एकत्र किए गए डेटा की रैंडम आधार पर जांच की जाएगी और उस पर पर्यवेक्षण/प्रश्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को सुधार/स्पष्टीकरण के लिए भेजे जाएंगे। गणना पूरी होने और डेटा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य को टैब्लेटेड रिपोर्ट्स प्राप्त होंगी ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार माइक्रो-लेवल टेबल्स तैयार कर सकें।

3.5 प्रगति नियंत्रण

3.5.1 पहली स्प्रिंग्स गणना की प्रगति को वेब पोर्टल (डैशबोर्ड) के माध्यम से वास्तविक समय में नियंत्रित किया जाएगा। केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालयों पर एक समर्पित टीम कार्य की प्रगति को सक्रिय रूप

से नियंत्रित करेगी और यदि कोई समस्या हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र/राज्य/जिला/उप-जिला (तहसील)/ब्लॉक स्तर पर बहु-स्तरीय नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाएगी।

3.5.2 ब्लॉक स्तर पर बी.एल.ओ. की डैशबोर्ड तक पहुँच होगी, जो गाँवों की सूची को पूर्ण, शुरू न हुआ, या प्रगति पर के रूप में श्रेणीबद्ध दिखाएगा। जिला स्तर पर डी.एल.ओ. की उन सभी ब्लॉकों की स्थिति देखने की अनुमति होगी जो उन्हें सौंपे गए हैं, साथ ही विशिष्ट ब्लॉकों और उनके अंदर स्थित गाँवों की स्थिति भी देखने को मिलेगी। राज्य स्तर पर एस.एन.ओ. की डैशबोर्ड तक पहुँच होगी, जो सभी जिलों की स्थिति दिखाएगा, साथ ही विशिष्ट जिलों और उनके अंदर स्थित ब्लॉकों और गाँवों की स्थिति भी प्रदर्शित करेगा। केंद्र स्तर पर डैशबोर्ड में सभी राज्यों की स्थिति, विशिष्ट राज्य की स्थिति, और उन राज्यों के अंतर्गत आने वाले जिलों/ब्लॉकों/गाँवों की स्थिति प्रदर्शित होगी।

3.6 गणना की अनुमानित सूची

1. केंद्र से केंद्रीय अनुदान का वितरण: जैसे ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग की जाए
2. ऑल इंडिया प्रशिक्षण कार्यशाला: अगस्त 2023
3. मोबाइल ऐप का पायलट परीक्षण: अक्टूबर 2024
4. छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएँ: दिसंबर 2024 – जनवरी 2025
5. राज्य/जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम: मार्च 2025
6. गणना के लिए फील्ड कार्य की शुरुआत: अप्रैल 2025
7. डेटा शोधन, सत्यापन और जांच: अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक
8. केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तालिकाओं की जांच: अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025
9. मुख्य परिणामों का प्रकाशन: मार्च 2026
10. अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना और प्रकाशन: जून 2026

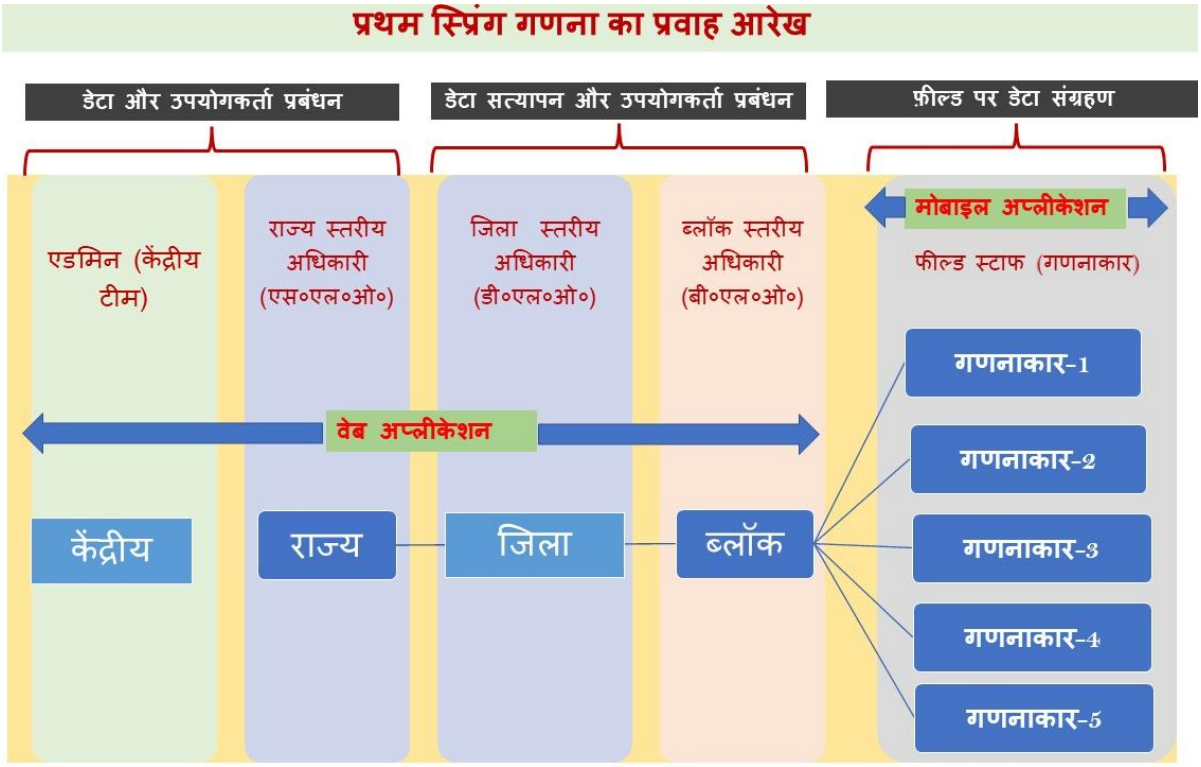
*****

अध्याय 04:

उपयोगकर्ता प्रबंधन वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए निर्देश

4.1 लॉग इन खाते (लॉगिन अकाउंट) की भूमिकाएँ और सुविधाएँ

इस सिस्टम में चार अलग-अलग लॉग इन अकाउंट [एडमिन (व्यवस्थापक), स्टेट(राज्य), डिस्ट्रिक्ट(जिला)और ब्लॉक] शामिल हैं, जिनमें यूजर मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के लिए रोल-आधारित पहुंच (एक्सेस) है। नीचे प्रत्येक लॉग इन अकाउंट और उसकी संबंधित विशेषताओं और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है:



चित्र 4.1 वेब एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा और उपयोगकर्ता प्रबंधन (एडमिन, एस.एल.ओ., डी.एल.ओ. और बी.एल.ओ.) और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से गणनाकार द्वारा क्षेत्र कार्य को दर्शाता प्रवाह आरेख।

A. व्यवस्थापक खाता (एडमिन अकाउंट):

- **भूमिका**: "एडमिन अकाउंट" की मुख्य भूमिका देश के सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए "राज्य उपयोगकर्ता (स्टेट यूजर्स)" बनाना है। इसके अतिरिक्त, "एडमिन अकाउंट" के पास पूरे सिस्टम तक पहुँच होती है और इसे केंद्रीय टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- **विशेषताएँ**:
    - **डेटा प्रबंधन**:
        - सभी क्षेत्रों के समस्त गणना डेटा तक पहुँच प्राप्त करें।
        - गणनाकार डेटा और रिपोर्ट को एक्सेल या पी.डी.एफ. प्रारूप में निर्यात करें।
    - **फ़िल्टर और खोज**:

        - राज्य, जिला, ब्लॉक, शहरी/ग्रामीण और गणनाकार का नाम के आधार पर फ़िल्टरलागू करें।
    - **डैशबोर्ड**:
        - समेकित आंकड़े देखें, जैसे कुल संचालित शेड्यूल्स और सक्रिय गणनाकर्ता।
    - **खाता प्रबंधन**:
        - राज्य के लिए लॉगिन खाते बनाएं और प्रबंधित करें।

B. राज्य खाता (स्टेट अकाउंट):

- **भूमिका**: राज्य उपयोगकर्ता की मुख्य भूमिका राज्य के सभी जिला उपयोगकर्ताओं (डिस्ट्रिक्ट यूजर्स) के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल (प्रत्यायक) बनाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य उपयोगकर्ता (स्टेट यूजर्स) को राज्य में गणनाकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले गणना कार्रवाई की देखरेख करने का अधिकार है।
- **विशेषताएँ**:
    - **डेटा एक्सेस**:
        - राज्य के सभी जिलों के गणना डेटा तक पहुंच।
    - **फ़िल्टर और खोज**:
        - जिला, शहरी/ग्रामीण, और गणनाकार का नाम के आधार पर गणनाकार विवरण खोजें।
    - **डैशबोर्ड**:
        - राज्य-स्तरीय आंकड़े देखें, जैसे संचालित शेड्यूल्स की संख्या और सक्रिय गणनाकर्ताओं की संख्या|

C. जिला खाता (डिस्ट्रिक्ट अकाउंट) :

- **भूमिका**: जिला उपयोगकर्ता की मुख्य भूमिका अपने जिले में आने वाले सभी ब्लॉक/नगर पालिकाओं के लिए ब्लॉक, उप जिला उपयोगकर्ता (सब-डिस्ट्रिक्ट यूजर्स) बनाना है। इसके अतिरिक्त, जिला उपयोगकर्ता को जिले के सभी ब्लॉक/नगरपालिकाओं में गणना कार्रवाई की देखरेख करने का अधिकार है।
- **विशेषताएँ**:
    - **डेटा एक्सेस**:
        - जिले के भीतर निर्दिष्ट ब्लॉक/नगर, उप जिला या नगर पालिकाओं में एकत्र किए गए गणना डेटा को देखें और जरुरी हो तो गणनाकार को वापस भेजें ।
    - **फ़िल्टर और खोज**:
        - ब्लॉक/नगर या नगर पालिकाओं और गणनाकार का नाम/फ़ोन नंबर के आधार पर गणनाकार विवरण फ़िल्टर करें।
    - **डैशबोर्ड**:

- जिला-स्तरीय मेट्रिक्स, जैसे कि कुल संचालित शैडयूलस आदि की निगरानी करें।

D. ब्लॉक/नगर एवं उप जिला खाता (ब्लॉक या सब-डिस्ट्रिक्ट अकाउंट):

- **भूमिका:** ब्लॉक/नगर या उप-जिला उपयोगकर्ता (ब्लॉक या सब-डिस्ट्रिक्ट अकाउंट) की प्राथमिक भूमिका निर्दिष्ट गांवों और वार्डों के लिए "गणनाकर्ता" को जोड़ना है।
- **ब्लॉक/नगरऔर उप-जिला उपयोगकर्ता:**उन्हें अपने निर्धारित क्षेत्रों में गणनाकर्ताओं को जोड़ने, गणना कार्रवाई की देखरेख करने और एकत्रित आंकड़ों को सत्यापित करने का अधिकार है।
- **गणनाकार:** निर्दिष्ट गांव या वार्ड के भीतर गणना डेटा एकत्र करने और उसे सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी।
- **विशेषताएँ:**
    - **गणनाकार प्रबंधन:**
        - ब्लॉक/नगर को सौंपे गए गणनाकारों को देखें और प्रबंधित करें।
    - **डेटा एक्सेस:**
        - निर्दिष्ट गांवों और वार्डों के लिए गणना डेटा तक पहुंच और संपादन करें।
    - **फ़िल्टर और खोज:**
        - गणनाकार के नाम से गणनाकार का विवरण खोजें।
    - **डैशबोर्ड:**
        - ब्लॉक स्तर पर गणना गतिविधियों और प्रदर्शन की निगरानी करना।

4.2 उपयोगकर्ता प्रबंधन डैशबोर्ड तक पहुंच और उसका उपयोग

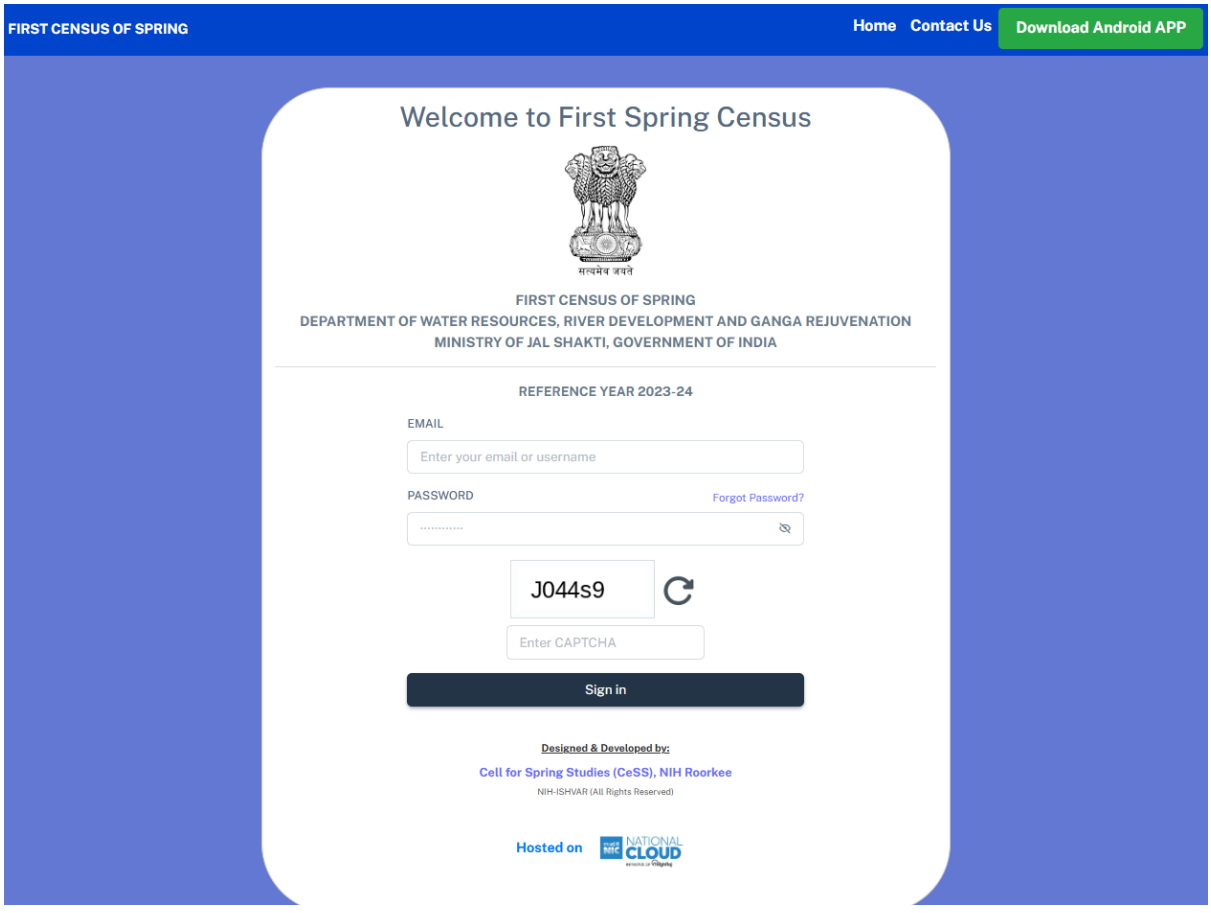
A. व्यवस्थापक खाता (एडमिन अकाउंट):

यू.आर.एल. - https://wrcensus.mowr.gov.in/

वेब ब्राउज़र में URL दर्ज करने के बाद, निम्नलिखित पृष्ठ प्रदर्शित होगा:



"SPRING CENSUS" पर क्लिक करने पर निम्नलिखित पृष्ठ प्रदर्शित होगा:

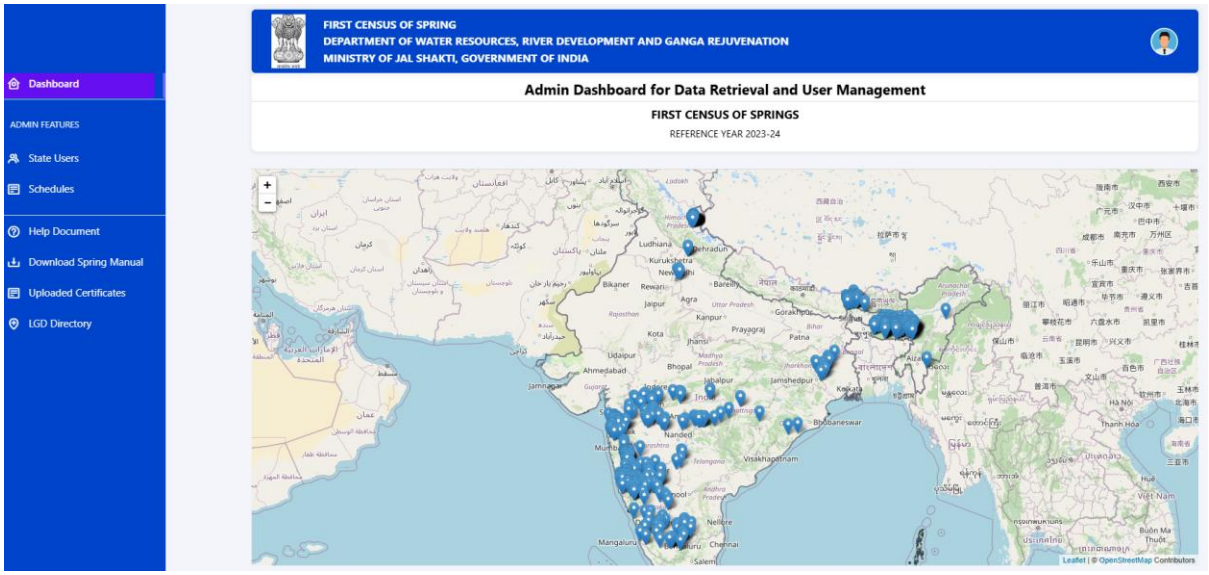


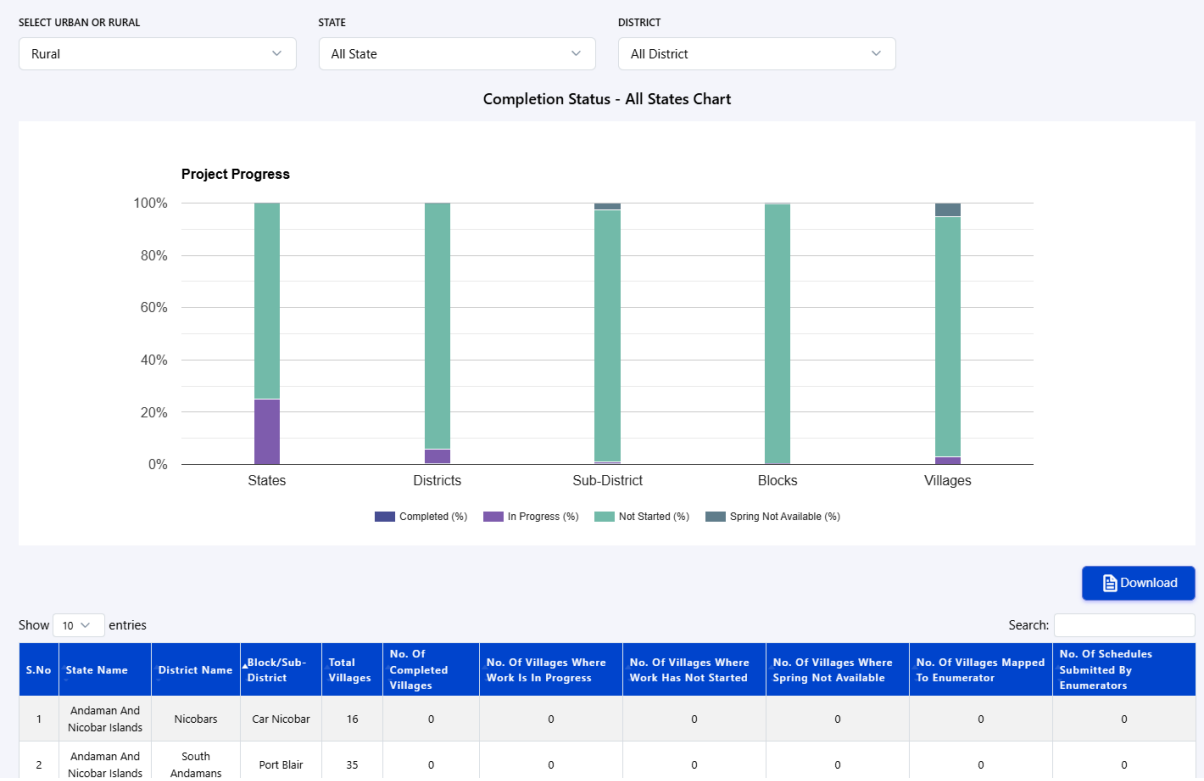
उपयोगकर्ता (यूज़र) को संबंधित क्षेत्र में **एडमिन अकाउंट** का ई.मेल. और पासवर्ड भरना होगा।

पोर्टल में उल्लिखित एडमिन अकाउंट की विशेषताएं:

1. **डैशबोर्ड:**

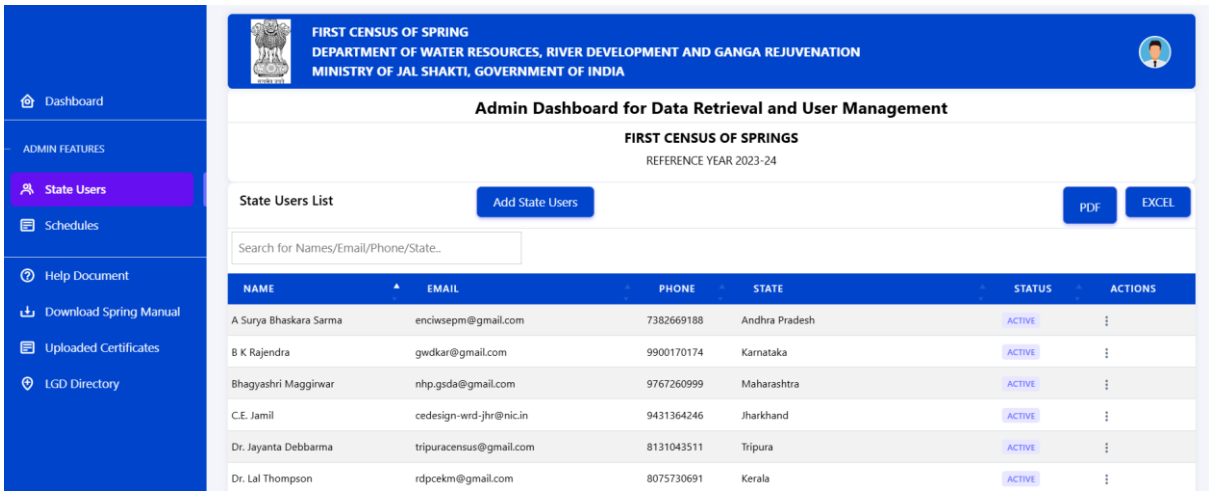
   - यह एक प्रथम स्प्रिंग गणना हेतु निगरानी डैशबोर्ड हैं जो विभिन्न फ़िल्टर (**अर्बन और रूरल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक**) के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न गांवों या वार्डों में स्प्रिंग गणना डेटा को स्टेक चार्ट **(कम्प्लेटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, स्प्रिंग नॉट अवेलेबल)** तथा विस्तृत रूप से तालिका में प्रदर्शित करता हैं |
   - भौगोलिक संदर्भ और सारांश सांख्यिकी के लिए एक मानचित्र प्रदर्शित करता है, जैसे प्रत्येक राज्य में अनुमोदित मानचित्रित शैडयूलस की संख्या।





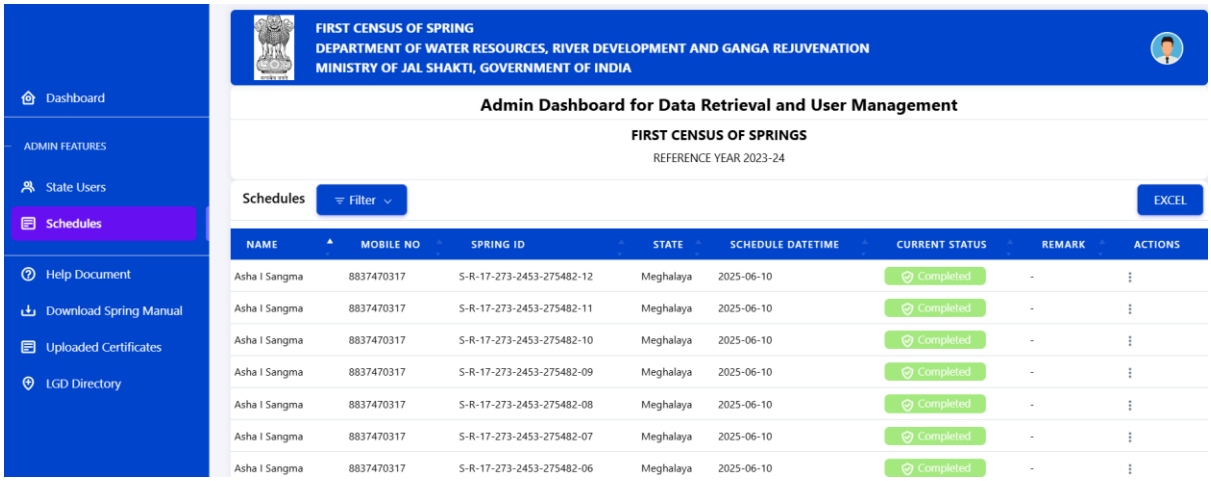
2. स्टेट यूजर्स

- एडमिन को राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। एडमिन राज्य उपयोगकर्ताओं को जोड़ (**ऐड स्टेट यूजर्स**) एवं **एक्शन्स** टैब के अंतरगत संपादित **(एडिट)** एवं हटा **(डिलीट)** सकते हैं।



3. शैडयूल

- एक सारांश तालिका (**नेम, मोबाइल नंबर, स्प्रिंग आई.डी., स्टेट, शैडयूल डेट टाइम, करंट स्टेटस, एक्शन्स**) विभिन्न राज्यों में सभी अनुमोदित (एप्रूव्ड) स्प्रिंग शैडयूल प्रदर्शित करती है ।



- **एक्शन्स** टैब के अंतरगत **व्यू** पर क्लिक करने से विस्तृत स्प्रिंग शैडयूल जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें शामिल हैं:
  - पहचान विवरण (Identification Particulars)
  - स्प्रिंग विवरण (spring Description)
  - स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ (General Physical Characteristics of the Spring)
  - अन्य सूचना (Other information)
- **फ़िल्टर** टैब एडमिन को **स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन और रूरल**, **एनुमेरटर नेम, मोबाइल नंबर** जैसे मानदंडों के आधार पर परिणामों को सीमित करने की अनुमति देता हैं।

4. **हेल्प डॉक्यूमेंट:**
   - एडमिन यूजर्स के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है|
5. **डाउनलोड स्प्रिंग मैन्युअल:**
   - स्प्रिंग की प्रथम गणना हेतु अनुदेश पुस्तिका डाउनलोड करें |

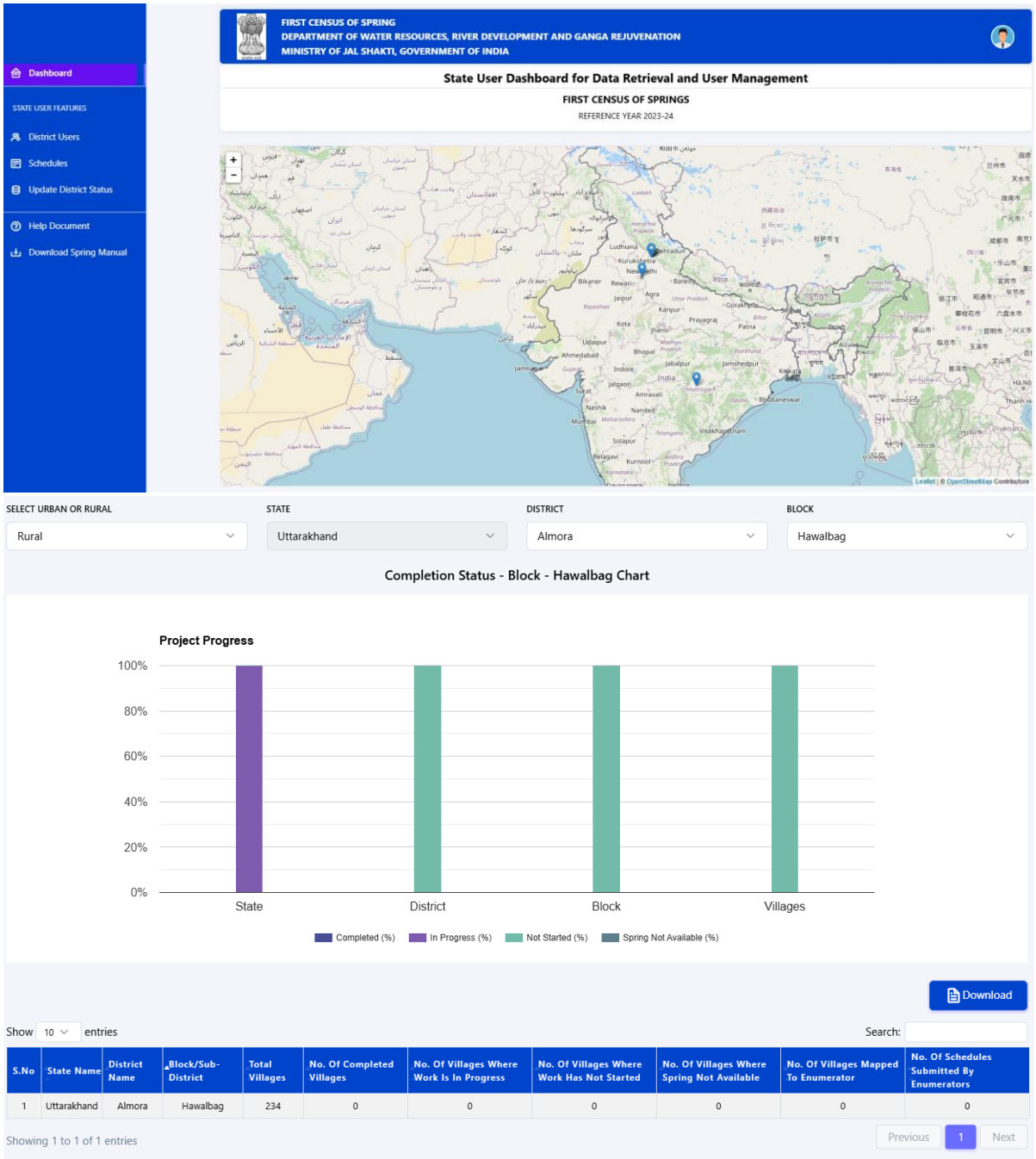
B. राज्य खाता (स्टेट अकाउंट):

राज्य उपयोगकर्ता (स्टेट लेवल ऑफिसर) अपने राज्य के लिए एडमिन द्वारा सृजित लॉगिन क्रेडिंटिअल का प्रयोग कर अपने राज्य के डैशबोर्ड तक पहुंचे |

1. डैशबोर्ड:

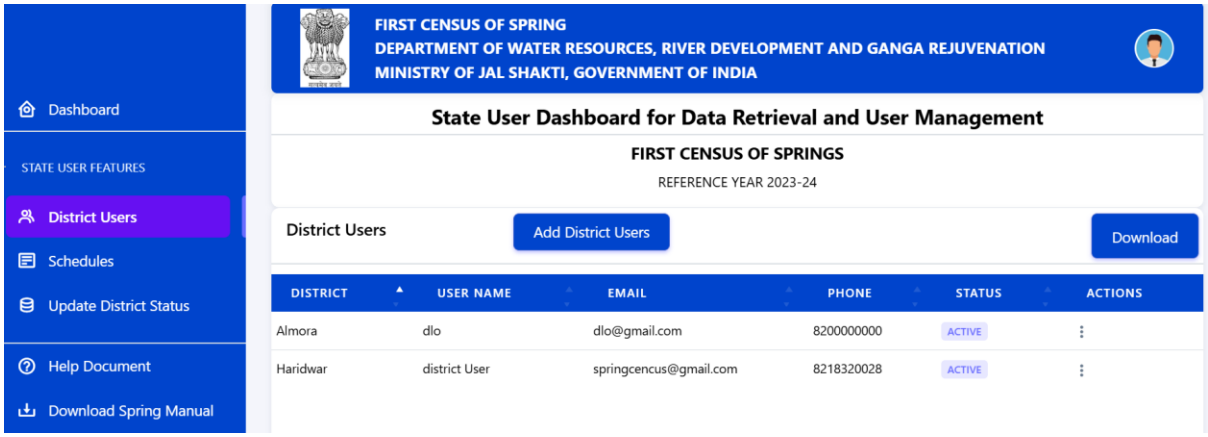
- यह एक प्रथम स्प्रिंग गणना हेतु निगरानी डैशबोर्ड हैं जो विभिन्न **फ़िल्टर** (**अर्बन और रूरल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक**) के आधार पर राज्य के विभिन्न गांवों या वार्डों में स्प्रिंग गणना डेटा को स्टेक चार्ट

(कम्प्लेटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, स्प्रिंग नॉट अवेलेबल) तथा विस्तृत रूप से तालिका में प्रदर्शित करता हैं |



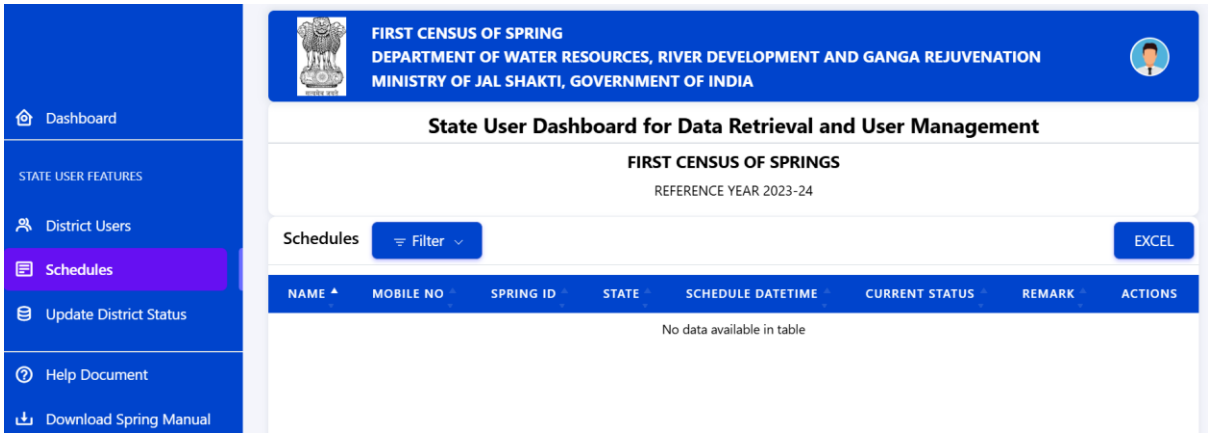
2. डिस्ट्रिक्ट यूजर्स

- राज्य उपयोगकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला उपयोगकर्ता जोड़ (**ऐड डिस्ट्रिक्ट यूजर्स**) सकते हैं एवं **एक्शन्स** टैब के अंतरगत संपादित **(एडिट)** एवं हटा **(डिलीट)** सकते हैं।
- राज्य के भीतर स्प्रिंग शैडयूल नियोजन और निष्पादन के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।



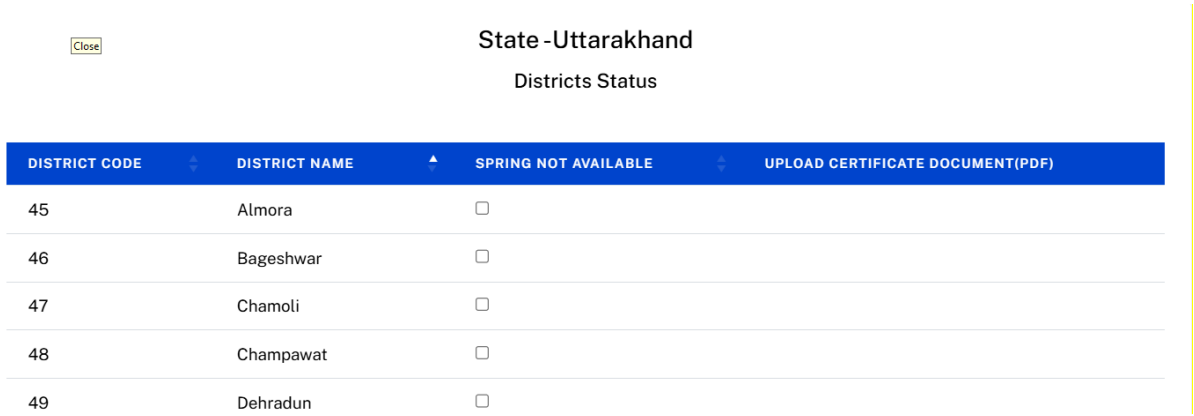
3. शैडयूल:

- एक सारांश तालिका (**नेम, मोबाइल नंबर, स्प्रिंग आई.डी., स्टेट, शैडयूल डेट टाइम, करंट स्टेटस, एक्शन्स**) राज्य में भरे गए कुल स्प्रिंग शैडयूल प्रदर्शित करती है।
- **एक्शन्स** टैब के अंतरगत व्यू पर क्लिक करने से विस्तृत स्प्रिंग शैडयूल जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें शामिल हैं:
  - पहचान विवरण (Identification Particulars)
  - स्प्रिंग विवरण (spring Description)
  - स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ (General Physical Characteristics of the Spring)
  - अन्य सूचना (Other information)
- **फ़िल्टर** राज्य के उपयोगकर्ताओं को जिला या गणनाकार जैसे मानदंडों के आधार पर परिणामों को सीमित करने की अनुमति देते हैं।
- रिपोर्टिंग या विश्लेषणके लिए स्प्रिंग शैडयूल डेटा को **एक्सेल** में निर्यात करें।



4. अपडेट डिस्ट्रिक्ट स्टेटस

- राज्य के अंतर्गत जिलेवार **"स्प्रिंग नॉट अवेलेबल"** को अद्यतन करना| "स्प्रिंग नॉट अवेलेबल" की स्थिति में सम्बंधित प्रमाणपत्र दस्तावेज़ **(अपलोड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट)** भी अपलोड करना होगा |



5. हेल्प डॉक्यूमेंट:

- राज्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है|

6. डाउनलोड स्प्रिंग मैन्युअल

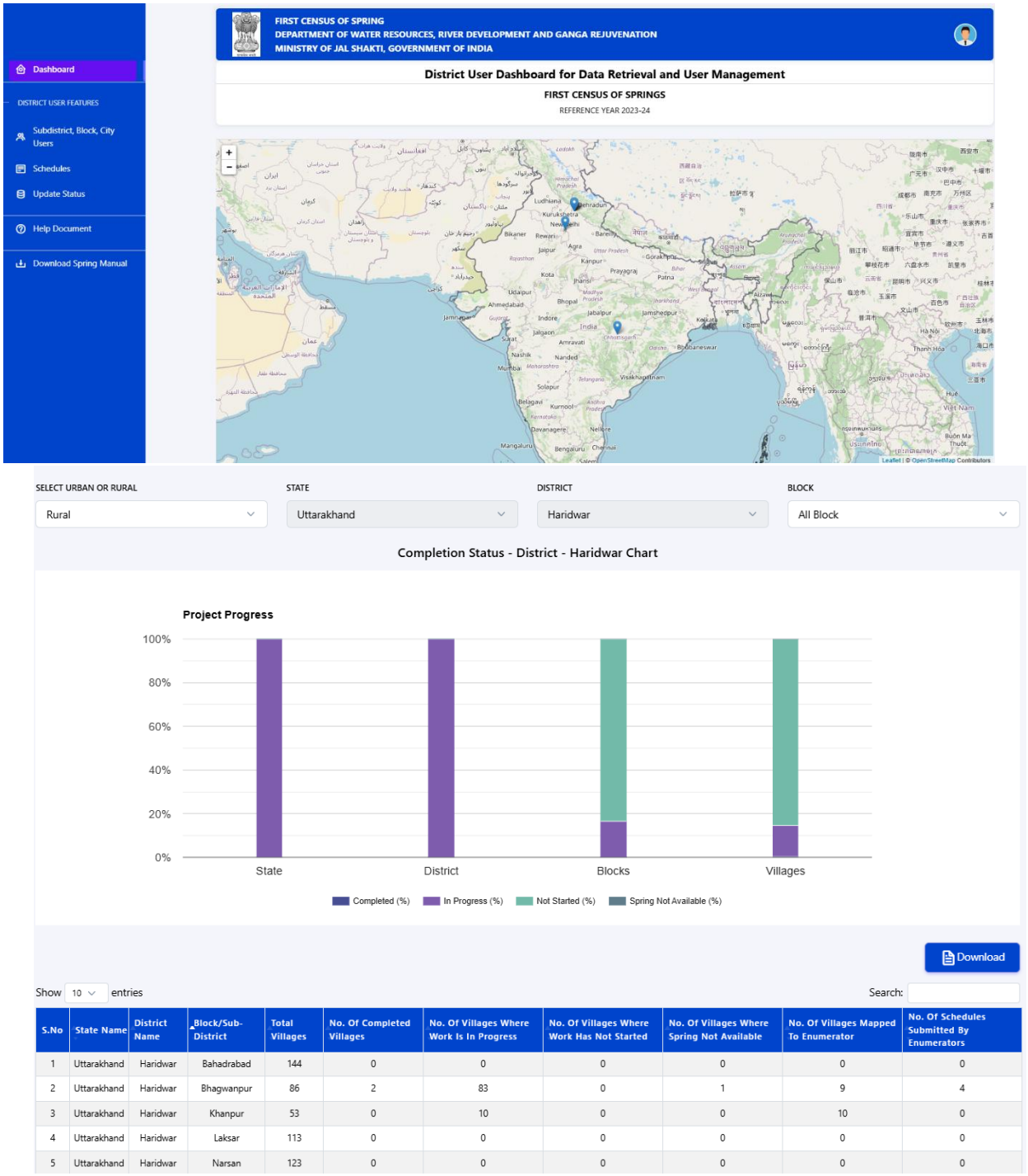
- स्प्रिंग की प्रथम गणना हेतु अनुदेश पुस्तिका डाउनलोड करें |

C. जिला खाता (डिस्ट्रिक्ट अकाउंट):

जिला उपयोगकर्ता (डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर) अपने जिले के लिए स्टेट लेवल ऑफिसर द्वारा सृजित लॉगिन क्रेडिंटिअल का प्रयोग कर अपने जिले के डैशबोर्ड तक पहुंचे |

1. डैशबोर्ड

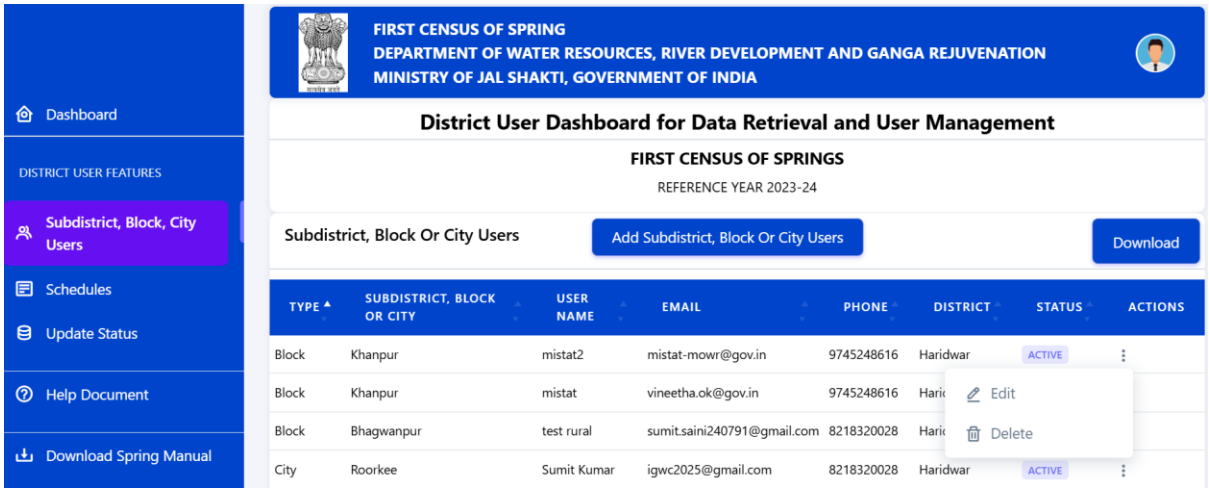
- यह एक प्रथम स्प्रिंग गणना हेतु निगरानी डैशबोर्ड हैं जो विभिन्न फ़िल्टर (**अर्बन और रूरल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक**) के आधार पर जिले के विभिन्न गांवों या वार्डों में स्प्रिंग गणना डेटा को स्टेक चार्ट **(कम्प्लेटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, स्प्रिंग नॉट अवेलेबल)** तथा विस्तृत रूप से तालिका में प्रदर्शित करता हैं |



S.No	State Name	District Name	Block/Sub-District	Total Villages	No. Of Completed Villages	No. Of Villages Where Work Is In Progress	No. Of Villages Where Work Has Not Started	No. Of Villages Where Spring Not Available	No. Of Villages Mapped To Enumerator	No. Of Schedules Submitted By Enumerators
1	Uttarakhand	Haridwar	Bahadrabad	144	0	0	0	0	0	0
2	Uttarakhand	Haridwar	Bhagwanpur	86	2	83	0	1	9	4
3	Uttarakhand	Haridwar	Khanpur	53	0	10	0	0	10	0
4	Uttarakhand	Haridwar	Laksar	113	0	0	0	0	0	0
5	Uttarakhand	Haridwar	Narsan	123	0	0	0	0	0	0

2. सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी यूजर्स

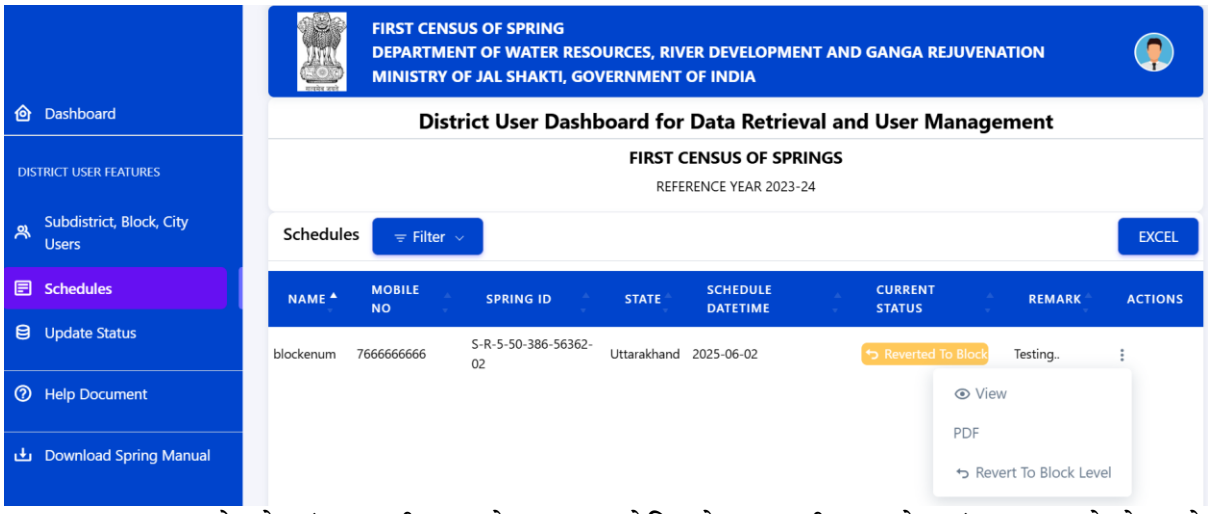
- जिला उपयोगकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी उपयोगकर्ता को जोड़ **(ऐड सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सिटी यूज़र्स)** सकते हैं, एवं **एक्शन्स** टैब के अंतरगत संपादित **(एडिट)** कर सकते हैं या हटा **(डिलीट)** सकते हैं।
- गणना की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिले के भीतर सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।



---

3. शैडयूल:

- एक सारांश तालिका (**नेम, मोबाइल नंबर, स्प्रिंग आई.डी., स्टेट, शैडयूल डेट टाइम, करंट स्टेटस, एक्शन्स**) जिले में भरे गए कुल स्प्रिंग शैडयूल प्रदर्शित करती है।
- जिला उपयोगकर्ता अपने जिले में भरे गए स्प्रिंग शैडयूल को एक्शन्स टैब के अंतरगत देख (व्यू), और यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता हो या वह आवश्यक मानदंडों को पूरा न करता हो तो ब्लॉक/सिटी लेवल ऑफिसर को लौटा (**रिवर्ट तो ब्लॉक लेवल**) सकतें हैं|



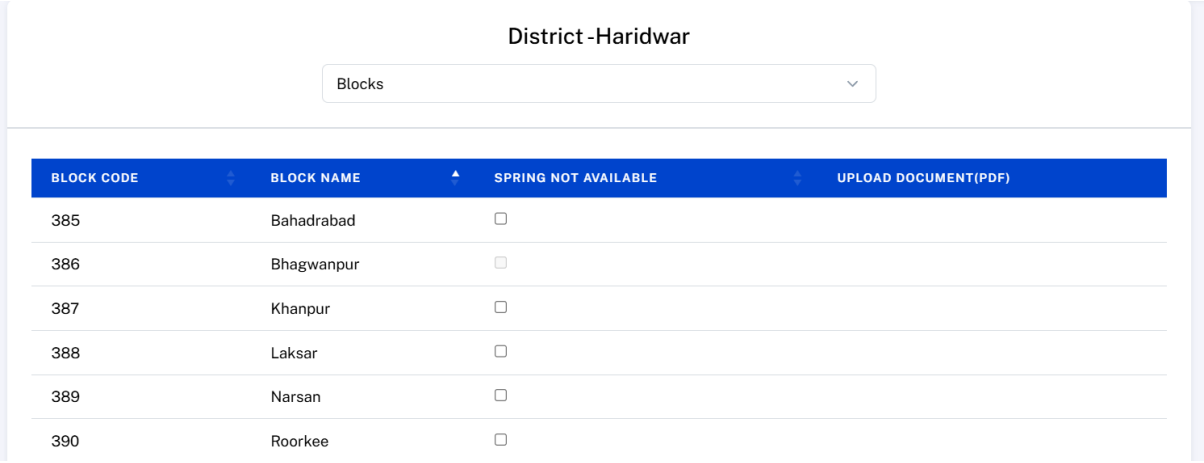
- **एक्शन्स** टैब के अंतरगत बी.एल.ओ. द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्स डी.एल.ओ. एबं एस.एल.ओ. के खाते पर भी उपलब्ध होंगे | पर क्लिक करने से विस्तृत स्प्रिंग शैडयूल जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें शामिल हैं:
    - पहचान विवरण (Identification Particulars)
    - स्प्रिंग विवरण (spring Description)
    - स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ (General Physical Characteristics of the Spring)

- अन्य सूचना (Other information)

- फिल्टर की सहायता से जिला उपयोगकर्ता ब्लॉक/सिटी एवं गणनाकार नाम (एनुमेरटर नेम) जैसे मानदंडों के आधार पर परिणामों को सीमित कर सकतें हैं।
- रिपोर्टिंग या विश्लेषण के लिए भरे गए स्प्रिंग शैडयूल डेटा को एक्सेल में निर्यात कर सकते हैं।

4. अपडेट स्टेटस

- जिले के अंतर्गत ब्लॉक/सिटीवार "स्प्रिंग नॉट अवेलेबल" को अद्यतन करना| "स्प्रिंग नॉट अवेलेबल" की स्थिति में प्रमाणपत्र दस्तावेज़ (अपलोड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट) भी अपलोड करना होगा |



5. हेल्प डॉक्यूमेंट:

- जिला उपयोगकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है|

6. डाउनलोड स्प्रिंग मैन्युअल

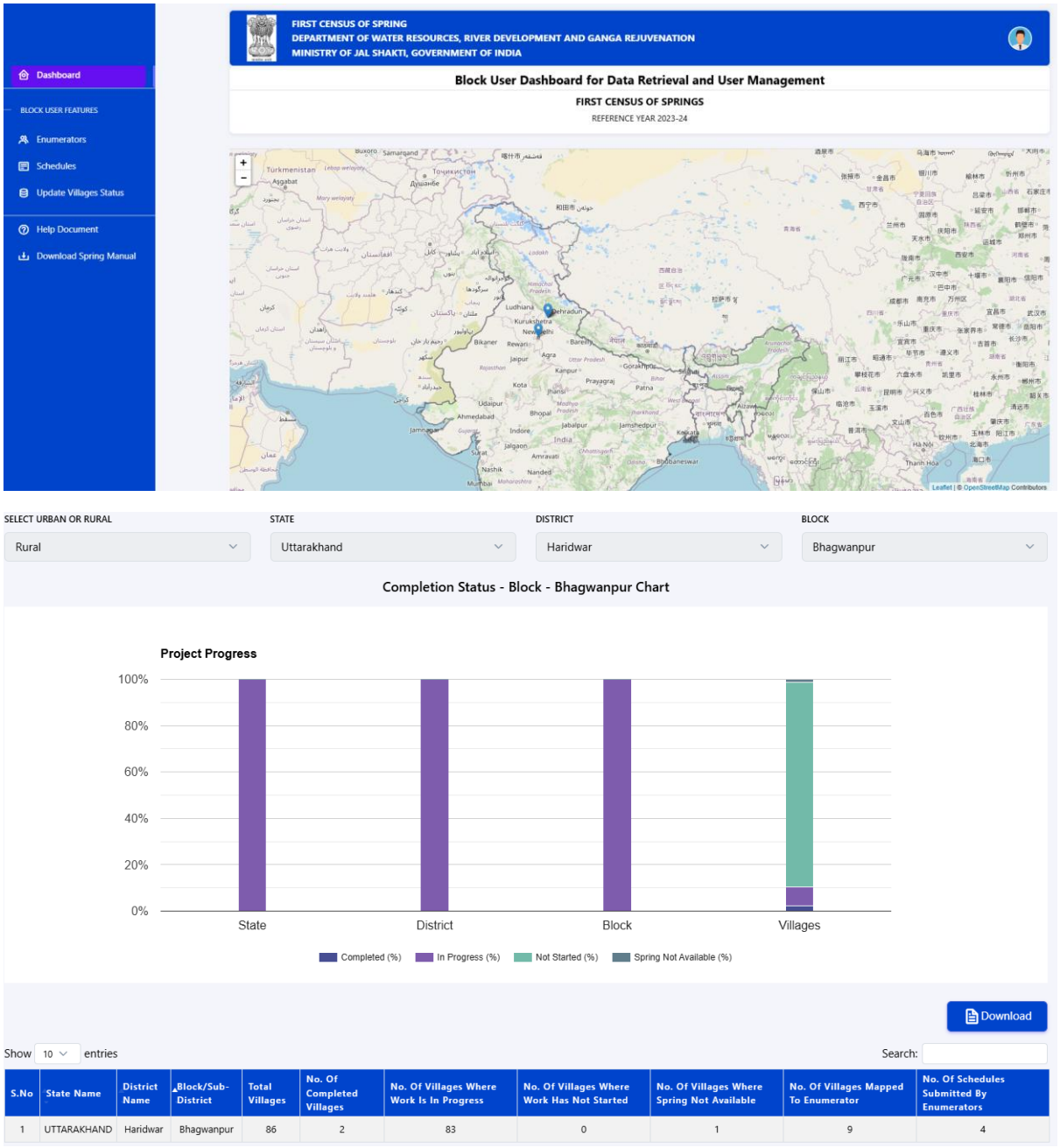
- स्प्रिंग की प्रथम गणना हेतु अनुदेश पुस्तिका डाउनलोड करें |

D. ब्लॉक/नगरएवं उप जिला खाता (ब्लॉक या सब-डिस्ट्रिक्ट अकाउंट):

ब्लॉक/सब -डिस्ट्रिक्ट/सिटी उपयोगकर्ता अपने ब्लॉक/सब -डिस्ट्रिक्ट/सिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर द्वारा सृजित लॉगिन क्रेडिंटिअल का प्रयोग कर अपने ब्लॉक/सब -डिस्ट्रिक्ट/सिटी के डैशबोर्ड तक पहुंचे |

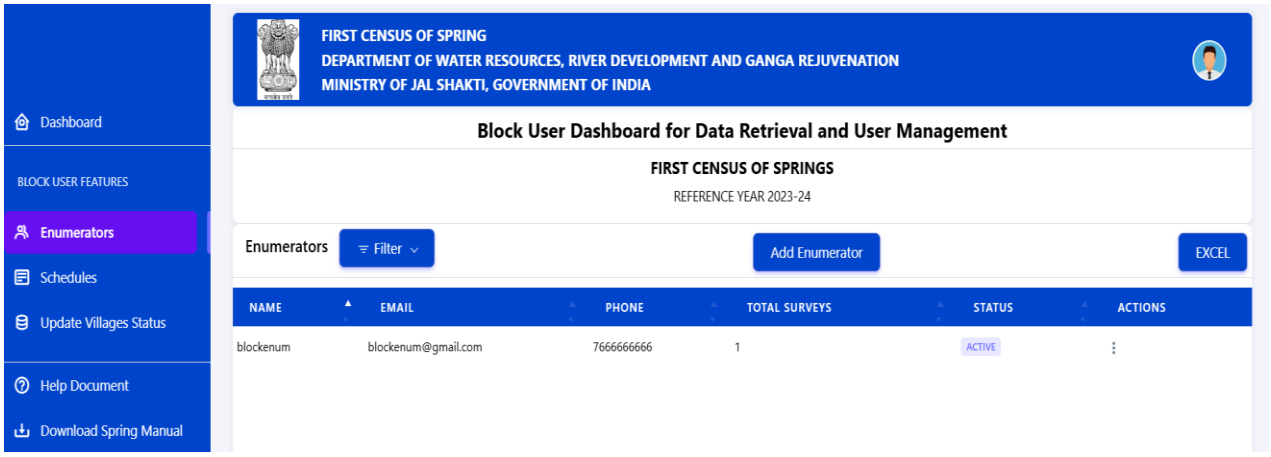
1. डैशबोर्ड :

- यह एक प्रथम स्प्रिंग गणना हेतु निगरानी डैशबोर्ड हैं जो विभिन्न फ़िल्टर (**अर्बन और रूरल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज**) के आधार पर ब्लॉक/सब -डिस्ट्रिक्ट/सिटी के विभिन्न गांवों या वार्डों में स्प्रिंग गणना डेटा को स्टेक चार्ट (**कम्प्लेटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, स्प्रिंग नॉट अवेलेबल**) तथा विस्तृत रूप से तालिका में प्रदर्शित करता हैं |



2. एनुमेरटर्स (गणनाकारों)

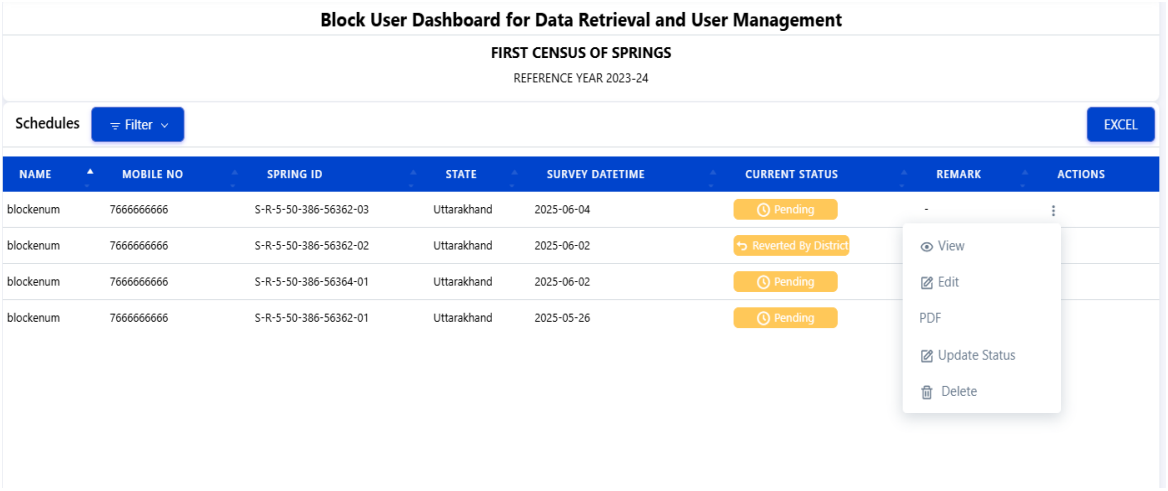
- ब्लॉक उपयोगकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्प्रिंग गणना हेतु गणनाकारों को जोड़ **(ऐड एनुमेरटर्स)**, संपादित **(एडिट)** एवं हटा **(डिलीट)** सकते हैं।
- गणनाकार को सर्वे कार्य हेतु गांवों या वार्डों का आवंटन कर सकता हैं|
- स्प्रिंग शैडयूल नियोजन और निष्पादन के लिए ब्लॉक/सिटी के भीतर सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।



- ब्लॉक, उप-जिला उपयोगकर्ता अपने ब्लॉक को सौंपे गए गणनाकारों को देख और प्रबंधित कर सकते हैं।
- प्रमुख कार्यक्षमताएं निम्नलिखित हैं:
    - गणनाकार का विवरण देखना (जैसे, **नेम, ई.मेल., फोन, टोटल शैडयूल, स्टेट्स, एक्शन्स**)।
    - वार्डों या विशिष्ट क्षेत्रों में गणनाकारों की नियुक्ति करना।
    - गणनाकार क्रेडेंशियल्स को संशोधित करना, जैसे लॉगिन जानकारी या स्थिति।

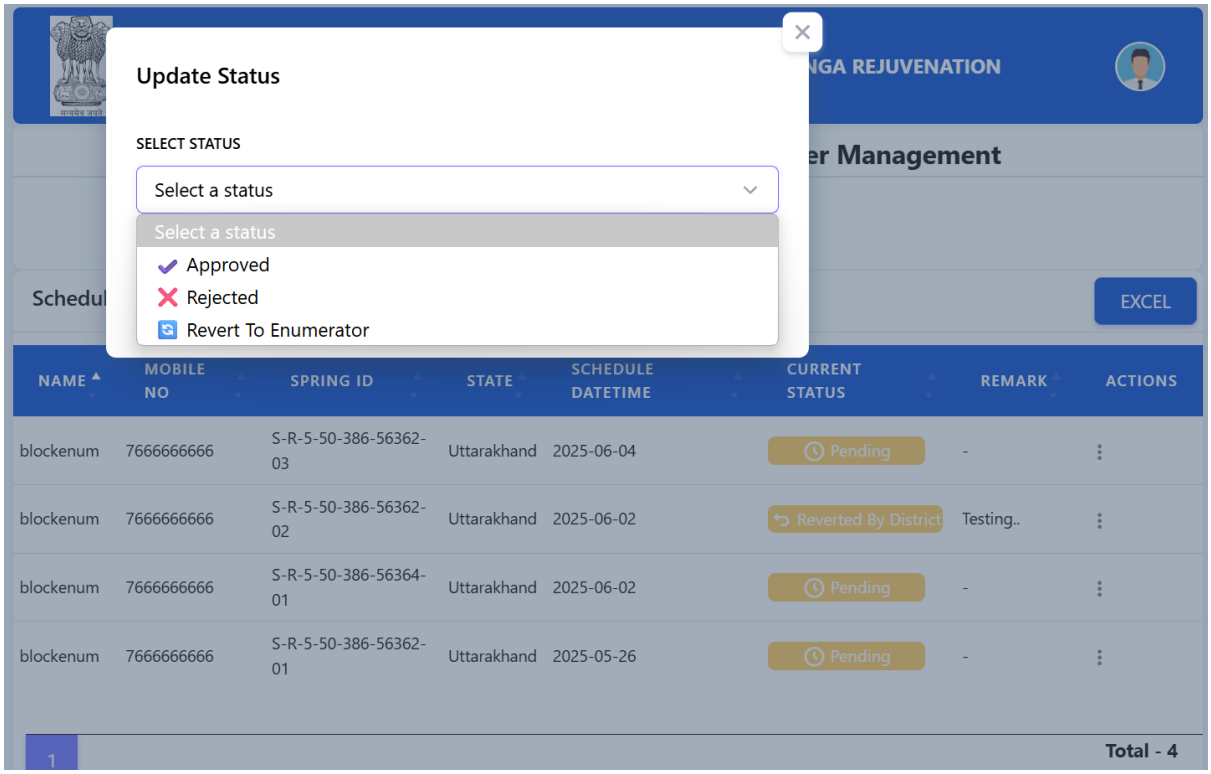
3. शैडयूल

- ब्लॉक/उप जिला उपयोगकर्ता अपने ब्लॉक/उप जिला के अंतर्गत भरे गए स्प्रिंग शैडयूल को देख (व्यू), सम्पादित (एडिट), स्थिति अद्यतन (अपडेट स्टेटस) और मिटा (डिलीट) सकता हैं।
- प्रमुख विशेषताऐं:
    - एक सारांश तालिका प्रतिवार्ड या क्षेत्र में भरे गए कुल स्प्रिंग शैडयूल प्रदर्शित करती है ।
    - फिल्टर ब्लॉक उपयोगकर्ताओं को वार्ड या गणनाकर्ता जैसे मानदंडों के आधार पर परिणामों को सीमित करने की अनुमति देते हैं।
    - रिपोर्टिंग या विश्लेषण के लिए स्प्रिंग शैडयूल डेटा को **एक्सेल** में निर्यात करें।



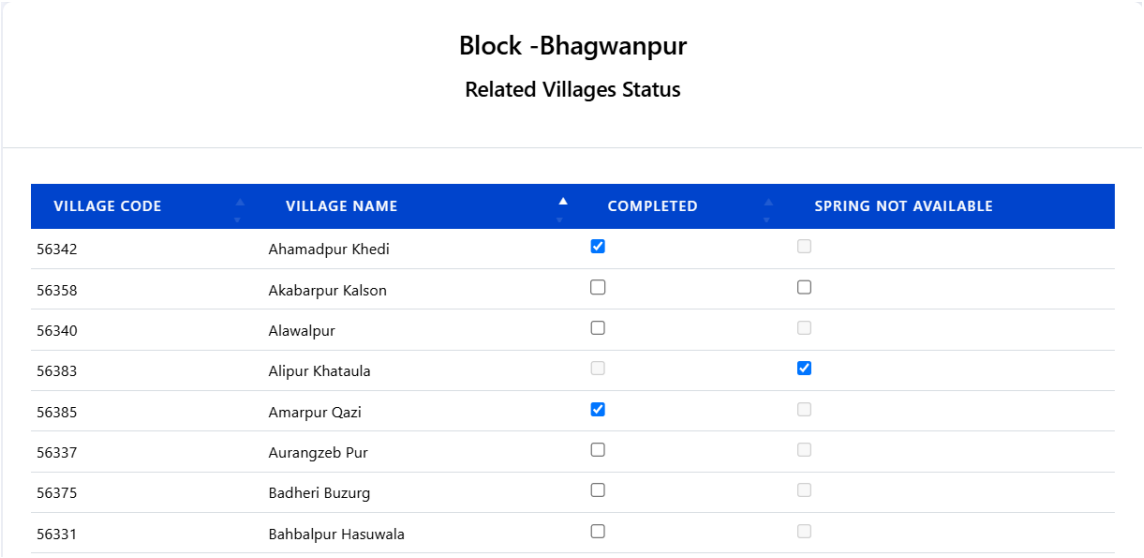
- स्थिति अद्यतन (**अपडेट स्टेटस**) के अंतरगत

  एप्रूव्ड: स्प्रिंग शैडयूल सत्यापित और स्वीकृत है।
  रिजेक्टेड: भरा हुआ स्प्रिंग शैडयूल वैध नहीं है या आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
  रिवर्ट टू एनुमेरटर्स: – स्प्रिंग शैडयूल को सुधार या अतिरिक्त विवरण के लिए गणनाकार को वापस भेजा जाता है। |



4. अपडेट विलेज स्टेटस

- ब्लॉक के अंतर्गत गांवों की स्थिति को "**कम्प्लेटेड**" व "**स्प्रिंग नॉट अवेलेबल**" के अनुसार अद्यतन करना| |



Block -Bhagwanpur

Related Villages Status

VILLAGE CODE	VILLAGE NAME	COMPLETED	SPRING NOT AVAILABLE
56342	Ahamadpur Khedi	☑	☐
56358	Akabarpur Kalson	☐	☐
56340	Alawalpur	☐	☐
56383	Alipur Khataula	☐	☑
56385	Amarpur Qazi	☑	☐
56337	Aurangzeb Pur	☐	☐
56375	Badheri Buzurg	☐	☐
56331	Bahbalpur Hasuwala	☐	☐

5. हेल्प डॉक्यूमेंट

- ब्लॉक उपयोगकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध है:

6. डाउनलोड स्प्रिंग मैन्युअल

- स्प्रिंग की प्रथम गणना हेतु अनुदेश पुस्तिका डाउनलोड करें |

4.3 प्रथम स्प्रिंग गणना के लिए मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के निर्देश

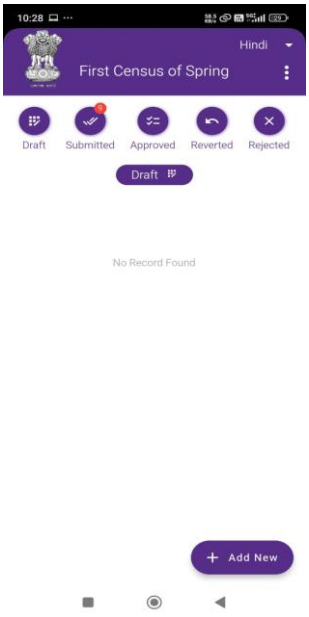
स्प्रिंग मोबाइल ऐप के अद्यतन संस्करण की उचित स्थापना और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

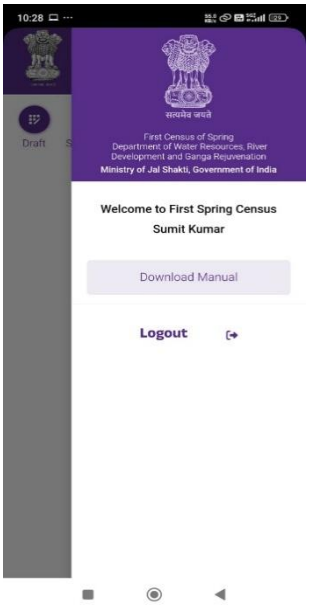
i. **मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें:** कृपयाअपने मोबाइल में ऐप का वर्तमान/अपडेट संस्करण इंस्टॉल करें।

ii. **लॉगइन क्रेडेंशियल:** कृपया पर्यवेक्षीस्तर के अधिकारी के निर्माण के दौरान गणनकर्ता जोड़ने के फॉर्म में दिए गए ई.मेल. आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करें।



iii. लॉगिन के बाद स्प्रिंग शैडयूल फॉर्म का डैशबोर्ड खुल जाएगा





स्प्रिंग शैडयूल के प्रथम पृष्ठ पर प्रदर्शित प्रत्येक स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. ड्राफ्ट

- जब कोई गणनाकार (डेटा संग्रहकर्ता) स्प्रिंग शैडयूल भरना प्रारंभ करता है, लेकिन अभी तक उसे अपलोड नहीं कर पाता है (मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से), तो स्प्रिंग शैडयूल **ड्राफ्ट** अनुभाग में ही रह जाता है।
- इससे गणनाकर्ता को स्प्रिंग शैडयूल प्रस्तुत करने से पहले उसकी समीक्षा (**रिव्यु**) एवं संपादन (**एडिट**) करने की सुविधा मिलती है।
- जब तक स्प्रिंग शैडयूल प्रस्तुत नहीं किया जाता, यह उच्च अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

2. सबमिटेड (प्रस्तुत)

- जब गणनाकार सफलता पूर्वक स्प्रिंग शैडयूल **अपलोड** कर देता है, तो वह **सबमिटेड** (प्रस्तुत) स्थिति में चला जाता है।
- इसका अर्थ यह है कि डेटा सिस्टम को प्रस्तुत कर दिया गया है और अब इसकी समीक्षा की जानी है।
- अब यह स्प्रिंग शैडयूल गणनाकार द्वारा आगे के संपादन के लिए लॉक कर दी गई है, जब तक कि इसमें सुधार के लिए इसे वापस (**रवेर्टेड**) नहीं भेजा जाता।

3. एप्रूव्ड (अनुमोदन)

- यदि अपलोड किया गया स्प्रिंग शैडयूल सही और पूर्ण है, तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और इसे अनुमोदित (एप्रूव्ड) किया जाता है।
- अनुमोदन (एप्रूव्ड) का अर्थ है कि डेटा सत्यापित हो गया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए अंतिम माना गया है।
- एक बार स्वीकृति मिलने के बाद, आगे कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

4. रवेर्टेड (प्रत्यावर्तित)

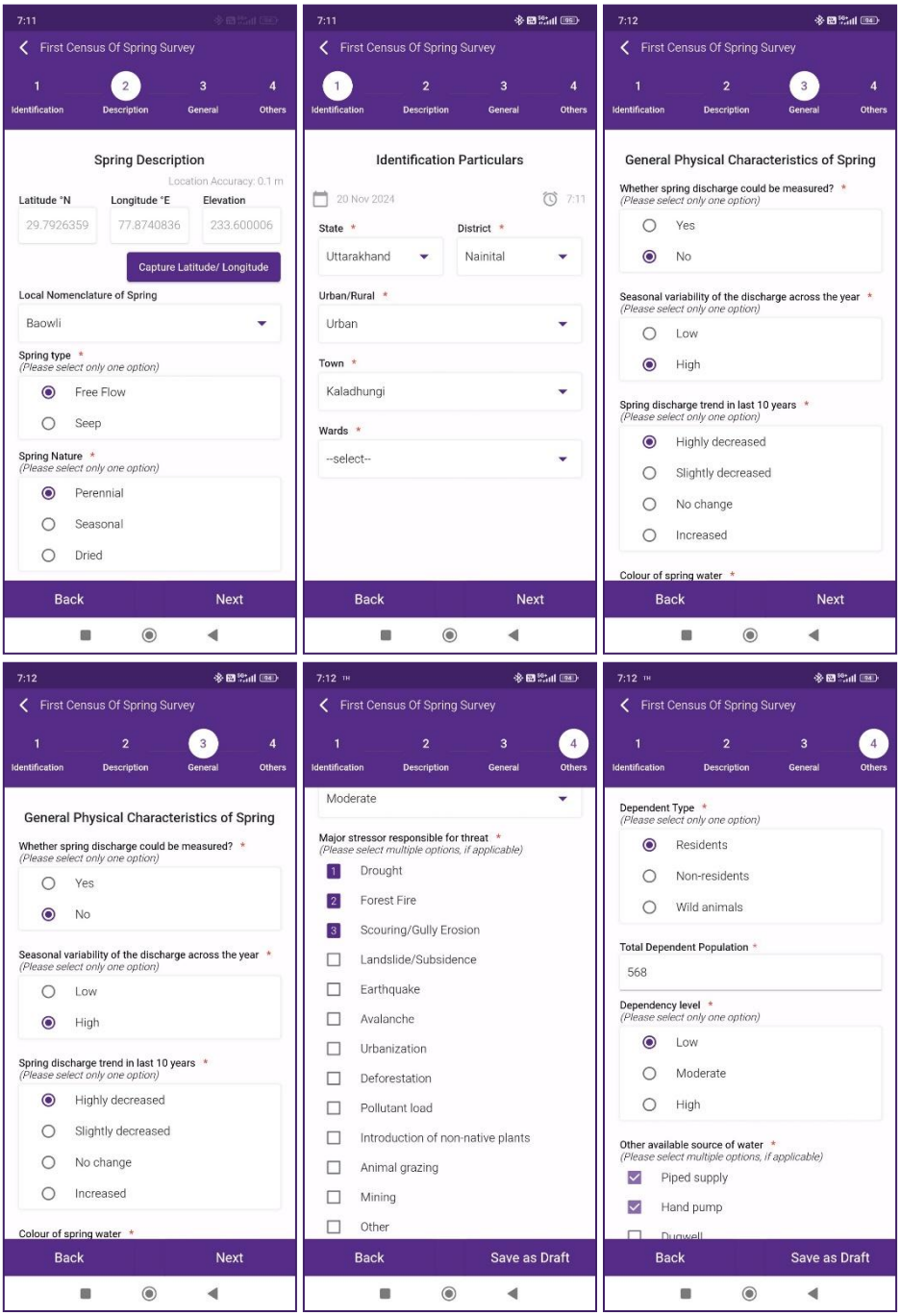
- यदि कोई त्रुटि, सूचना का अभाव या गलत डेटा है, तो ब्लॉक स्तर या जिला स्तर के अधिकारी स्प्रिंग शैडयूल को रवेर्टेड (प्रत्यावर्तित) कर सकते हैं।
- रवेर्टेड स्प्रिंग शैडयूल को सुधार और पुनःप्रस्तुतीकरण के लिए गणनाकार के पास वापस भेजा जाता है।
- गणनाकार को स्प्रिंग शैडयूल को संपादित करना होगा, आवश्यक परिवर्तन करने होंगे और फिर उसे पुनः प्रस्तुत (सबमिटेड) करना होगा।

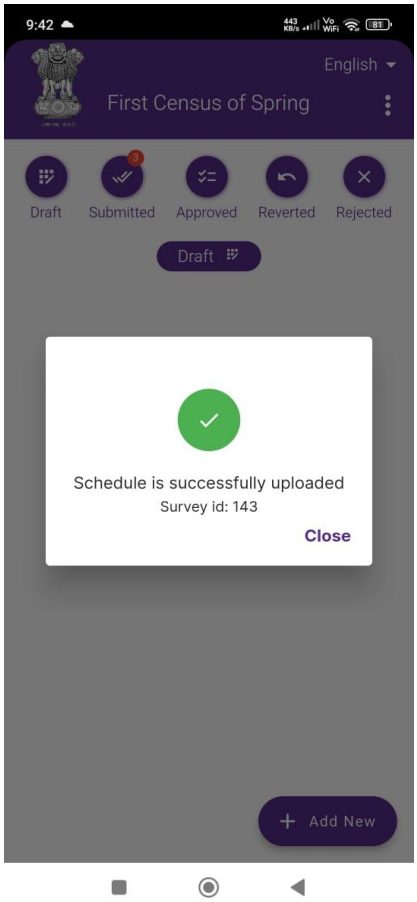
5. रिजेक्टेड (अस्वीकृत)

- यदि स्प्रिंग शैडयूल में बड़ी त्रुटियाँ हैं या वह अमान्य है, तो ब्लॉक स्तर का अधिकारी उसे अस्वीकार कर सकता है।

- एक बार अस्वीकृत होने पर, स्प्रिंग शैडयूल को अमान्य माना जाता है और उसे संपादित या पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- गणनाकार को एक नई स्प्रिंग शैडयूल प्रारंभ करने और सही डेटा पुनः प्रविष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है।

iv. **"ऐड न्यू"** बटन पर क्लिक करने के बाद स्प्रिंग शैडयूल फॉर्म प्रदर्शित होगा। स्प्रिंग शैडयूल फॉर्म को प्रथम स्प्रिंग गणना के लिए मैनुअल के **अध्याय 5 "स्प्रिंग शैडयूल भरने के लिए सामान्य निर्देश"** के अनुसार भरा जाएगा।




9:42
English
First Census of Spring
Draft
Submitted
Approved
Reverted
Rejected
Draft
Schedule is successfully uploaded
Survey id: 143
Close
Add New

*****

अध्याय 05:

स्प्रिंग गणना शैडयूल भरने के लिए सामान्य निर्देश

5.0 सामान्य

5.0.1 स्प्रिंग से संबंधित सभी जानकारी एक शेड्यूल के रूप में संकलित की गई है और इसे चार भागों में विभाजित किया गया है, जैसेकि (i) पहचान विवरण, (ii) स्प्रिंग विवरण, (iii) स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ, और (iv) अन्य जानकारी। सभी का विवरण निम्नलिखित भागों में विस्तार से दिया गया है।

5.1 पहचान विवरण (Identification Particulars)

5.1.1 राज्य/जिला/ब्लॉक (तहसील)/गांव या राज्य/जिला/नगर/वार्डजो भी लागू हो उसका नाम संबंधित एल.जी.डी. कोड के साथ दर्ज किया जाएगा। चूंकि स्प्रिंग शैडयूल में ग्रामीण या शहर की जानकारी होतीहै, इसलिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यदि स्प्रिंग ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसमें ब्लॉक और गांव कोड की जानकारी हो, और यदि स्प्रिंग शहरी क्षेत्र में है तो शहर से संबंधित जानकारी यानी नगर/नगर का नाम और वार्ड नंबर के साथ उनका कोड संबंधित मद में दर्ज किया गया है।

5.1.2 गांव/नगर के स्प्रिंगों की क्रम संख्या: गांव/वार्ड में स्प्रिंगों को चालू क्रम संख्या दी जानी चाहिए। यह उस गांव/नगर में उस विशेष स्प्रिंग की पहचान संख्या के रूप में काम करेगा। स्प्रिंग की क्रम संख्या देते समय, 01 से प्रारंभ होने वाली क्रम संख्या दी जानी चाहिए। प्रत्येक गांव या वार्ड में स्प्रिंग के लिए अलग-अलग 01 से प्रारंभ होने वाली क्रम संख्या दी जानी चाहिए।

5.2 स्प्रिंग विवरण (Spring Description)

5.2.1 आइटम 01: स्थानसंबंधी जानकारी

- स्मार्टफोन के इनबिल्ट जी.पी.एस. का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन में अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई दर्ज की जाएगी।
- सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, गणनाकर्ता को ढके हुए क्षेत्र के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए।
- यह संभव है कि किसी कारणवश स्मार्टफोन ऊंचाई की जानकारी रिकॉर्ड न कर पाए, तो गणनाकर्ता को इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वह स्प्रिंग शैडयूल के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

5.2.2 आइटम 02: स्प्रिंग का स्थानीय नाम

- गणनाकर्ता मोबाइल ऐप में उपलब्ध ड्रॉपडाउन सूची से स्प्रिंग के उपयुक्त स्थानीय नामकरण का चयन कर सकते हैं।

- यदि ड्रॉपडाउन सूची में नाम उपलब्ध नहीं है, तो गणनाकार *'अन्य'* विकल्प का चयन कर सकते हैं और टाइप करके नाम दर्ज कर सकते हैं।

5.2.3 आइटम 03: स्प्रिंग का प्रकार

- गणनाकर्ता स्प्रिंगके प्रकार के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कर सकता है *(फ्री फ्लो (मुक्त प्रवाह) स्प्रिंग और सीप (रिसाव) स्प्रिंग को समझने के लिए अवधारणा और परिभाषा देखें, बिंदु संख्या 2.1.1)।*

5.2.4 आइटम 04: स्प्रिंग का स्वाभाव

- गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो काफी लम्बे समय से स्प्रिंग के जल का उपयोग कर रहे हैं, के साथ चर्चा करने के बाद स्प्रिंग की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कर सकता है।

बारहमासी स्प्रिंग: पूरे वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है।

मौसमी स्प्रिंग: वर्ष के चयनित महीनों में जल उपलब्ध है।

सूखा स्प्रिंग: हालांकि, जो स्प्रिंग पूर्व में समुदाय को जल उपलब्ध कराते थे, वे वर्तमान में जल नहीं दे रहे हैं।

5.2.5 आइटम 05: क्या यह स्प्रिंग पिछले 10 वर्षों में उभरा हैं ?

- गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो काफी लम्बे समय से उस क्षेत्र में रह रहे हैं, से चर्चा करने के बाद उपयुक्त विकल्प 'हां' या 'नहीं' का चयन कर सकते हैं।

5.2.6 आइटम 06: क्या बरसात के मौसम में स्प्रिंग से गन्दा (मटमैला) पानी निकलता है?

- गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा लम्बे समय से स्प्रिंग केजल का उपयोग कर रहेहैं, से चर्चा करने के बाद उपयुक्त विकल्प 'हां' या 'नहीं' का चयन कर सकता है।

5.2.7 आइटम 07: स्प्रिंग और उसके आसपास की सफाई

- गणनाकार दृश्य (व्यू) निरीक्षण के बाद उपयुक्त विकल्प 'संतोषजनक' या 'असंतोषजनक' का चयन कर सकता है।

5.2.8 आइटम 08: स्प्रिंग का स्वामित्व

- गणनाकार स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद उपयुक्त विकल्प 'सार्वजनिक' या 'निजी' का चयन कर सकता है।

5.2.9 मद संख्या 9: क्या पानी इकट्ठा करने के लिए कोई चैंबर/टैंक है?

- गणनाकार स्प्रिंग के जल को एकत्रित करने के लिए कक्ष या टैंक की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त विकल्प 'हां' या 'नहीं' का चयन कर सकता है।



चित्र **5.1** स्प्रिंग के जल को एकत्रित करने के लिए कक्ष या टैंक

5.2.10 मद 10: क्या स्प्रिंग से पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति होती है?

- गणनाकार स्प्रिंग से जल आहरित कर किसी भी गांव/घर में पाइप जलापूर्ति की उपस्थिति/अनुपस्थिति का निरीक्षण करके उपयुक्त विकल्प 'हां' या 'नहीं' का चयन कर सकता है।

5.2.11 आइटम 11: अतिरिक्त विवरण के लिए तीन चित्र लें

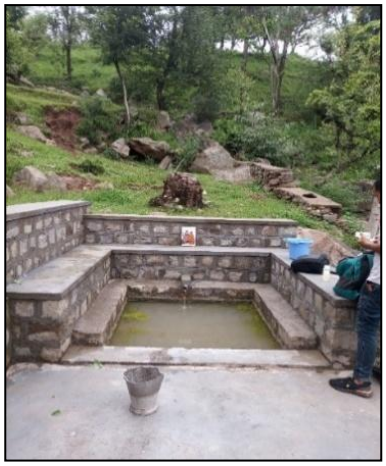
अतिरिक्त विवरण के लिए चित्र लेने का प्रावधान है

स्प्रिंग का करीब से फोटो (क्लोज़-अप) शॉट:	स्प्रिंग का नजदीक से दृश्य (व्यू) उपलब्ध कराने के लिए इसे स्प्रिंग के निकास से लगभग 2 मीटर की दूरी से कैद किया जाना चाहिए।
स्प्रिंग का चौड़े कोण से फोटो (वाइड-एंगल) शॉट:	स्प्रिंग के आसपास के दृश्य (व्यू) को रिकार्ड करने के लिए स्प्रिंग को केन्द्र में रखकर स्प्रिंग के निकास से लगभग 10-20 मीटर की दूरी से इसे कैद किया जाना चाहिए।
स्प्रिंग के साथ सेल्फी (सेल्फी शॉट):	गणनाकर्ता को स्प्रिंग के साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए।

स्पष्टीकरण के लिए क्लोज-अप शॉट और वाइड-एंगल शॉट को निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है।



चित्र 5.2 क्लोज-अप शॉट



चित्र 5.3 वाइड एंगल शॉट

5.3 स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ (General Physical Characteristics of the Spring)

5.3.1 आइटम 01: क्या स्प्रिंग का प्रवाह मापा जा सकताहै?

- गणनाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्प्रिंग जल प्रवाह मापा गया है, तत्पश्चात 'हां' विकल्प का चयन किया जा सकता है।
- हालाँकि, कुछ चरम मामलों में यदि जल प्रवाह को मापना संभव नहीं है तो गणनाकर्ता 'नहीं' विकल्प का चयन कर सकता है।
- मुक्त प्रवाह स्प्रिंग केलिए, मैनुअल जल प्रवाह माप निम्नलिखित चरणों में किया जाता है।
- ज्ञात जल मात्रा को एक अंशांकित बाल्टी या जल संग्रहण बेंत में एकत्रित करें।
- तीन मापों का औसत निकालें: एकत्रित जल की मात्रा और जल एकत्रित करने में लगा समय।
- जल को एकत्रित करने में लगे समय से आयतन को विभाजित करके स्प्रिंग के जल प्रवाह की गणना करें।



चित्र 5.4 मुक्त प्रवाह स्प्रिंग का जल प्रवाह माप।

सीप स्प्रिंग के लिए, जल प्रवाह माप निम्नलिखित चरणों में किया जाता है।

- कक्ष में जल केस्तर को चिह्नित करें
- चैम्बर सीप सेजल की ज्ञात मात्रा निकालें
- जल को अपने पिछले स्तर तक पहुंचने में लगने वाला समय रिकॉर्ड करें
- जल को एकत्रित करने में लगे समय से आयतन को विभाजित करके स्प्रिंग के जल प्रवाह की गणना करें।



चित्र 5.5. सीप प्रकार स्प्रिंग का जल प्रवाह माप।

5.3.2 आइटम 02: स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या

- गणनाकर्ता स्प्रिंग जल निकासों की संख्या दर्ज कर सकता है, क्योंकि एक स्प्रिंग में अनेक जल निकास हो सकते हैं।

- स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या के आधार पर, एकत्रित जल की मात्रा (लीटर में) और जल को एकत्र करने में लगने वाला समय (मिनट:सेकंड) में दर्ज किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक जल निकासों का जल प्रवाह स्प्रिंग के कुल जल प्रवाह के साथ-साथ एप्लिकेशन द्वारा स्वचालित रूप से दिखाया जाएगा।



चित्र 5.6 तीन जल प्रवाह वाला स्प्रिंग

5.3.3 आइटम 03: प्रवाह की मौसमी परिवर्तनशीलता

- स्प्रिंग जल प्रवाह का काफी बढ़ जाना/घट जाना (100% से अधिक), यानी वर्ष के कुछ महीनों में दोगुना या उससे ज्यादा हो जाना, स्प्रिंग जल प्रवाह की 'उच्च' मौसमी परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। अन्यथा, मौसमी परिवर्तनशीलता ' निम्न' होती है।

- गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा काफी लम्बे समय से स्प्रिंग के जल का उपयोग कर रहे हैं, से चर्चा करने के बाद उपयुक्त विकल्प 'उच्च' या 'निम्न' का चयन कर सकते हैं।

- मौसमी परिवर्तनशीलता पर अंतर्दृष्टि पूरे वर्ष जल स्रोत के रूप में स्प्रिंग की विश्वसनीयता को समझने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, उच्च मौसमी परिवर्तनशीलता वाला स्प्रिंग विभिन्न महीनों में जल प्रवाह परिमाण में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है,

जबकि कम मौसमी परिवर्तनशीलता वाला स्प्रिंग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत एक समान जल प्रवाह स्तर बनाए रखता है।

5.3.4 आइटम 04: पिछले 10 वर्षों में प्रवाह का रुझान

- गणनाकर्ता स्थानीयनिवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा काफी लम्बे समय से स्प्रिंग के जल का उपयोग कर रहे हैं, से चर्चा करने के बाद उपयुक्त विकल्प जैसे 'अत्यधिक गिरावट ', 'थोड़ी गिरावट ', 'कोई बदलाव नहीं', तथा 'बढ़ोत्तरी' का चयन कर सकते हैं।

5.3.5 आइटम 05: स्प्रिंग के पानी का रंग

- गणनाकर्ता स्प्रिंग के जल के दृश्य (व्यू) निरीक्षण के आधार पर उपयुक्त विकल्पों का चयन कर सकता है। आम तौर पर, शुद्धजल 'रंगहीन' होता है, हालांकि, कुछ अशुद्धियों के कारण थोड़ा रंगीन हो सकता है।

5.3.6 आइटम 06: स्प्रिंग के पानी की गंध

- स्प्रिंग के जल में किसी भी गंध की उपस्थिति के आधार पर उपयुक्त विकल्प, अर्थात् ' स्वीकार्य ' या 'अस्वीकार्य ' का चयन कर सकता है।

5.3.7 आइटम 07: स्प्रिंग के पानी का स्वाद

- गणनाकर्ता स्प्रिंग के जल के स्वाद के आधार पर उपयुक्त विकल्प जैसे 'अनुपयुक्त' या 'उपयुक्त' का चयन कर सकते हैं। यदि जल में गंध या रंग है, तो स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं से चर्चा करने के बाद उचित प्रविष्टि करना उचित है।

5.3.8 आइटम 08: स्प्रिंग के पानी का तापमान

- यदि स्प्रिंग 'थर्मल (गरम) स्प्रिंग' है तो गणनाकर्ता 'गर्म' का चयन कर सकता है, अन्यथा 'ठंडा' विकल्प का चयन किया जाएगा।

5.4 अन्य सूचना (Other Information)

5.4.1 आइटम 01: स्प्रिंग अपस्ट्रीम (ऊपरी भाग) में प्रमुख भूमि उपयोग

- स्प्रिंग के ऊपरी भाग में भूमि उपयोग भूमि आवरण कई प्रकार का हो सकता है, तथापि, गणनाकर्ता को सूचना दर्ज करते समय ड्रॉपडाउन मेनू में उपलब्ध विकल्पों जैसे कृषि, वन, चारागाह, झाड़ियाँ, बस्तियां से प्रमुख प्रकार का चयन करना चाहिए।

5.4.2 आइटम 02: स्प्रिंग के स्थान के आसपास भूमि उपयोग

- गणनाकर्ता को सूचना दर्ज करते समय ड्रॉपडाउन मेनू में उपलब्ध विकल्पों जैसे कृषि, वन, चारागाह, झाड़ियाँ, बस्तियां में से स्प्रिंग स्थान में भूमि उपयोग भूमि कवर का चयन करना चाहिए।

5.4.3 आइटम 03: संसाधन ख़तरा

- गणनाकर्ता को स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं और स्प्रिंग के जल का उपयोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं ताकि स्प्रिंग के अस्तित्व को खतरे में डालने की संभावना का आकलन किया जा सके। तदनुसार, 'हां' या 'नहीं' विकल्प का चयन किया जाना चाहिए।

आइटम03(क): **ख़तरे की डिग्री**

यदि स्प्रिंग के लिए 'संसाधन खतरा' की पहचान की जाती है, तो गणनाकर्ता को स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत के अनुसार 'खतरे की डिग्री' के लिए उपयुक्त विकल्प जैसे ' निम्न', 'मध्यम' और 'उच्च' दर्ज करना चाहिए।

आइटम03(ख): **खतरे के लिए उत्तरदायी प्रमुख तनाव**

गणनाकर्ता को स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा करके स्प्रिंग के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए तथा स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा करने के बाद आवेदन में उपयुक्त विकल्प का चयन करना चाहिए।

5.4.4 आइटम 04: स्प्रिंग के पानी का उपयोग

- गणनाकर्ता को स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं, जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा लम्बे समय से स्प्रिंग के जल का उपयोग कर रहे हैं, से चर्चा करने के बाद, वरीयता क्रम में 'स्प्रिंग के जल के उपयोग' के लिए अधिकतम तीन उपयुक्त विकल्पों का चयन करना चाहिए।

5.4.5 आइटम 05: निर्भर प्रकार

गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं से चर्चा करने के बाद उचित विकल्प चुन सकता है जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं और काफी लंबे समय से स्प्रिंग के जल का उपयोग कर रहे हैं। यदि आश्रित प्रकार "निवासी" है, तो कृपया "कुल आश्रित जनसंख्या" दर्ज करें।

5.4.6 आइटम 06: निर्भरता स्तर

- किसी स्प्रिंग की निर्भरता का स्तर इस आधार पर तय किया जा सकता है कि स्थानीय लोग अपनी दैनिक जल आवश्यकताओं के लिए किस हद तक स्प्रिंग पर निर्भर हैं।

- यदि स्थानीय आबादी पूरी तरह से स्प्रिंग पर निर्भर है, तो गणनाकर्ता को 'उच्च' विकल्प चुनना चाहिए। इसी तरह, निर्भरता के स्तर के आधार पर, 'मध्यम' और 'निम्न' विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जानकारी स्थानीय निवासियों/उपयोगकर्ताओं से बातचीत करके भरी जानी चाहिए।

5.4.7 आइटम 07: जल के अन्य उपलब्ध स्रोत

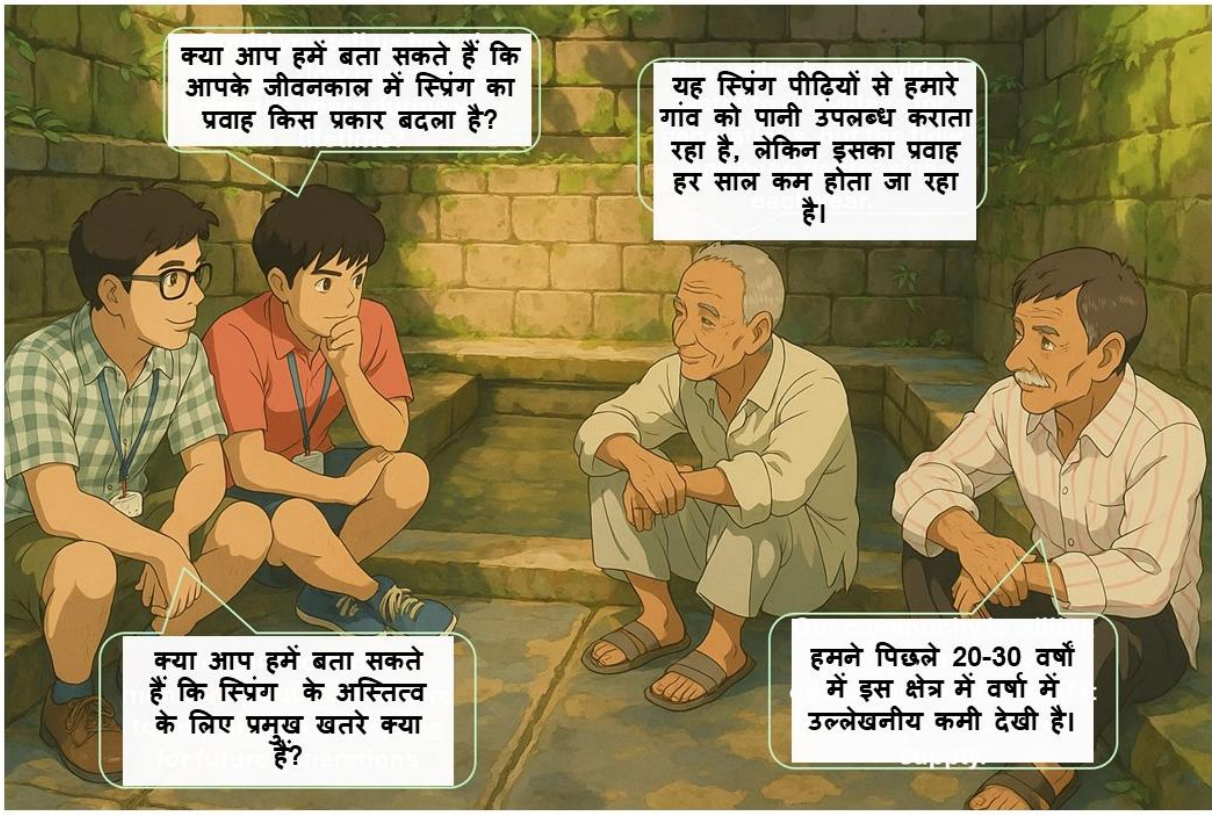
- गांव में जल के अन्य स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर, उपयुक्त विकल्प जैसे पाइप्ड सप्लाई, हैंडपंप, डगवेल, तालाब, कोई नहीं या अन्य का प्रयोग किया जा सकता है।

5.4.8 आइटम 08: क्या स्प्रिंग हेतु कोई स्प्रिंगशेड/वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम चला है?

- गणनाकार को स्थानीय लोगों और स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या किसी स्प्रिंग का उपचार किसी विशेष स्प्रिंगशेड) या वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया गया है?

- उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ राज्य एजेंसियां और गैर सरकारी संगठन विभिन्न स्प्रिगशेड /वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत स्प्रिंगों का उपचार कर रहे हैं।

इस सहायक जानकारी की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, गणनाकर्ता को स्थानीय निवासियों और हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने से गणनाकर्ताओं को स्प्रिंगों और उनसे जुड़े पहलुओं के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करनेमें सहायता मिलती है। यह सहभागी दृष्टिकोण स्थानीय हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है और गणना में उनके मूल्यवान दृष्टिकोणों को शामिल करता है। समुदाय के सदस्यों के विचारों और सरोकारों को शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ उनके पास स्प्रिंगों के साथ हुई उनकी पारस्परिक क्रिया के माध्यम से संचित अमूल्य ज्ञान और विचार होते हैं।



चित्र 5.7 समय के साथ स्प्रिंग के प्रवाह व्यवस्था में विकास को समझने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत

अध्याय 06

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. क्या वन क्षेत्र में स्थित स्प्रिंग को गणना में शामिल किया जाना है?

उत्तर: हां, भारतसंघ की भौगोलिक सीमा में स्थित सभी स्प्रिंग जो कि दृश्यमान हैं को गणना में शामिल किया जाना चाहिए। वन क्षेत्र में स्थित स्प्रिंगों का सर्वेक्षण उस जंगल में स्थित निकटतम गांव के अंतर्गत किया जाएगा।

प्रश्न 2. क्या केवल वर्षा ऋतु में बहने वाले स्प्रिंग को मौसमी माना जा सकता है?

उत्तर: नहीं, मौसमी स्प्रिंग वह स्प्रिंग है जो वर्ष के केवल कुछ भाग में जल प्रवाह होता है, आमतौरपर वर्षा से पुनर्भरण प्राप्त करने के बाद। हालाँकि, जो स्प्रिंग केवल वर्षा ऋतु में बहते हैं, वे सही मायने में स्प्रिंग नहीं हैं, बल्कि वे विलंबित सतही अपवाह हैं। इसलिए, गणनाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा सर्वेक्षण किए गए स्प्रिंगों में वर्षा ऋतु के बाद भी 2-3 महीनों से अधिक अवधि (>2-3 महीने) तक प्रवाहित हो, ताकि उन्हें वास्तविक स्प्रिंग माना जा सके।

प्रश्न 3. सूखे स्प्रिंगों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: सूखे स्प्रिंग से तात्पर्य ऐसे स्प्रिंग से है जिसका अतीत में जल प्रवाह का एक महत्वपूर्ण इतिहास (>10 वर्ष) था, लेकिन तब से विभिन्न कारणों से बहना बंद हो गया है। ऐसे स्प्रिंगों के इतिहास की पुष्टि स्थानीय खातों और निवासियों की गवाही के माध्यम से की जानी चाहिए, और सूखे स्प्रिंग के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रदान किए जाने चाहिए, जो इसके पिछले प्रवाह के स्पष्ट संकेत दिखाते हैं।

प्रश्न 4. पाइप सप्लाई से जुड़े स्प्रिंग के जल प्रवाह को कैसे मापा जाएगा?

उत्तर: जल आपूर्ति के लिए स्प्रिंग का दोहन करने के लिए उत्तरदायी विभाग या एजेंसी के पास नल के स्प्रिंग के जल प्रवाह डेटा का अनुमान होना चाहिए। नतीजतन, विभाग या एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया निस्सरण मान मोबाइल ऐप में दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न 5. पिछले 10 वर्षों में स्प्रिंग जल प्रवाह की प्रवृत्ति कैसे ज्ञात होगी?

उत्तर: इसकी पहचान कुछ वृद्ध व्यक्तियों से परामर्श के बाद की जा सकती है, जिन्होंने लंबे समय तक स्प्रिंग के जल का उपयोग किया है, तथा उनके अनुभव और ज्ञान से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की है।

प्रश्न 6. **"जल का रंग" कैसे रिकॉर्ड करें**?

उत्तर: मीठा जल आमतौर पर रंगहीन होता है और गिलास में भरने पर पारदर्शी दिखाई देता है। हालाँकि, जब अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं, तो जल का रंग अलग हो सकता है (रंगीन हो सकता है) और गिलास में भरने पर बादल जैसा या धुंधला दिखाई दे सकता है।

प्रश्न 7. **यदि जल में दुर्गंध या अशुद्धियाँ हों तो उसका स्वाद कैसे रिकॉर्ड करें**?

उत्तर: यदि जल में खराब गंध या दिखाई देने वाली अशुद्धियाँ हैं, तो गणनाकर्ता को इसे चखना नहीं चाहिए। इसके बजाय, उन्हें 'अनुपयुक्त' उत्तर चुनना चाहिए। हालाँकि, यदि जल साफ और अप्रिय गंध से मुक्त दिखाई देता है, तो

गणनाकर्ता स्थानीय निवासियों से इसकी गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए परामर्श कर सकता है, और तदनुसार इसे 'अनुपयुक्त' या 'उपयुक्त' के रूप में रेटिंग दे सकता है।

प्रश्न 8. **यदि किसी गांव/वार्ड का एल.जी.डी. कोड नहीं मिल पाता है तो क्या करना होगा**?

उत्तर: गणना का ढांचा एल.जी. निर्देशिका पर 12.02.2025 तक उपलब्ध एल.जी.डी. कोड के साथ तैयार किया गया है। यदि 12.02.2025 के बाद गांव का विभाजन, शहरीकरण आदि जैसी कोई गतिविधि हुई है, तो कुछ भी नहीं किया जाएगा और 12.02.2025 तक गांव की स्थिति वही रहेगी।

एल.जी.डी. कोड गुम होने की स्थिति निम्नलिखित परिदृश्यों में हो सकती है:

गांव का विभाजन: यदि 12.02.2025 के बाद गांव 'A' को गांव 'A1' और गांव 'A2' में विभाजित किया जाता है, तो ये विभाजित गांव मोबाइल ऐप में उपलब्ध नहीं होंगे। अनुसूचियां केवल गांव 'A' का चयन करके भरी जाएंगी।

शहरीकरण: ऐसा हो सकता है कि गांव 'A' 12.02.2025 के बाद शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया हो। इस स्थिति में, इसे केवल ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा और इन क्षेत्रों में स्प्रिंग गणना आयोजित की जाएगी।

प्रश्न 9. **मोबाइल और वेब एप्लिकेशन तक कौन पहुंच सकता है**?

उत्तर: गणना की स्प्रिंग शैडयूल भरने के लिए गणनाकारों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। डेटा की जांच और प्रगति की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा वेब एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

भारत के विभिन्न राज्यों में जिला/उप-जिला/ब्लॉक/गांव की संख्या

क्र. सं.	राज्य_नाम	जिलों की संख्या	उप-जिलों की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	गांवों की संख्या
1	अंडमान तथा नोकोबार द्वीप समूह	3	9	9	559
2	आंध्र प्रदेश	26	686	669	17951
3	अरुणाचल प्रदेश	27	209	129	5485
4	असम	35	158	240	28543
5	बिहार	38	534	535	45693
6	छत्तीसगढ	33	251	147	20368
7	दिल्ली	11	28	1	222
8	गोवा	2	12	13	429
9	गुजरात	33	280	251	19041
10	हरियाणा	22	143	144	7089
11	हिमाचल प्रदेश	12	184	92	21253
12	जम्मू और कश्मीर	20	208	286	6857
13	झारखंड	24	263	265	32737
14	कर्नाटक	31	240	237	30757
15	केरल	14	78	153	1666
16	लद्दाख	2	15	32	248
17	लक्षद्वीप	1	10	11	27
18	मध्य प्रदेश	55	438	314	56646
19	महाराष्ट्र	35	358	352	44738
20	मणिपुर	16	65	71	3856
21	मेघालय	12	55	56	7125
22	मिजोरम	11	28	28	877
23	नगालैंड	16	120	75	1663
24	ओडिशा	30	471	315	52245
25	पुदुचेरी	2	8	4	129
26	पंजाब	23	97	155	13003
27	राजस्थान	49	425	363	47995
28	सिक्किम	6	18	35	483
29	तमिलनाडु	38	316	389	18696
30	तेलंगाना	33	590	582	11226

31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3	3	3	101
32	त्रिपुरा	8	23	59	898
33	उत्तरप्रदेश	75	350	827	110274
34	उत्तराखंड	13	129	96	17334
35	पश्चिम बंगाल	22	345	346	41006
	कुल	**781**	**7147**	**7284**	**667220**

नोट: दिनांक 12.02.2025 तक एल.जी. डायरेक्टरी से डाउनलोड किए गए गांवों और वार्डों की सूची से युक्त मास्टर फ्रेम।

भारत के विभिन्न राज्यों में जिला/कस्बों/वार्डों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की सं.	नगरों की सं.	वार्डों की सं.
1	अंडमान तथा नोकोबार द्वीप समूह	1	1	24
2	आंध्रप्रदेश	25	124	3923
3	अरुणाचलप्रदेश	14	19	59
4	असम	31	95	910
5	बिहार	37	137	3322
6	चंडीगढ़	1	1	35
7	छत्तीसगढ	33	169	3234
8	दिल्ली	4	4	280
9	गोवा	2	14	226
10	गुजरात	32	165	1374
11	हरियाणा	22	87	1686
12	हिमाचलप्रदेश	10	60	553
13	जम्मूऔर कश्मीर	20	78	1124
14	झारखंड	24	47	1063
15	कर्नाटक	31	300	7128
16	केरल	14	93	3529
17	लद्दाख	2	2	26
18	मध्यप्रदेश	55	413	7682
19	महाराष्ट्र	35	409	7060
20	मणिपुर	6	27	306
21	मेघालय	10	11	164
22	मिजोरम	10	23	242
23	नगालैंड	14	33	371
24	ओडिशा	30	113	2092
25	पुदुचेरी	4	5	116
26	पंजाब	23	163	3163
27	राजस्थान	49	240	8133
28	सिक्किम	5	7	51
29	तमिलनाडु	38	649	12729
30	तेलंगाना	32	141	3575
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3	3	43
32	त्रिपुरा	8	20	318
33	उत्तर प्रदेश	75	766	12845
34	उत्तराखंड	13	91	1134

35	पश्चिमबंगाल	21	126	2938
	कुल	**734**	**4636**	**91458**

नोट:दिनांक 12.02.2025 तक एलजी डायरेक्टरी से डाउनलोडकिए गए गांवों और वार्डों की सूची से युक्त मास्टर फ्रेम।

*****

अनुलग्नक- II

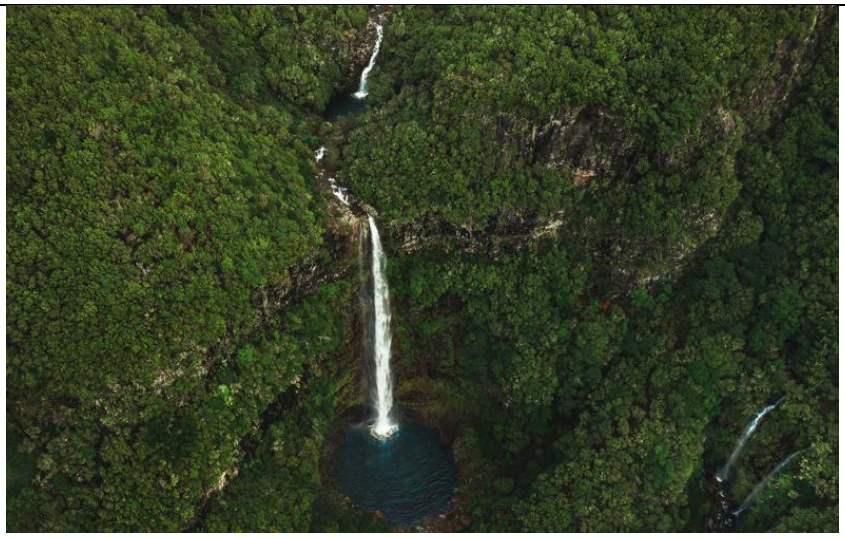
जल निकाय के लिए "स्प्रिंग के रूप में स्वीकृत" और "स्प्रिंग के रूप में अस्वीकृत" चित्रण

क्र. सं.	स्प्रिंग के रूप में स्वीकार करें	टिप्पणियां
1		पत्थर पिचिंग संरचना (कुंड/बावड़ी) में एकत्रित केंद्रित निस्सरण/रिसाव
2		कंक्रीट की दीवार की सहायता से जी.आई. पाइप के माध्यम से एकत्रित रिसता हुआ जल
3		रिसते जल को एक पाइप के माध्यम से निर्देशित किया जाता है तथा एक प्लास्टिक के ड्रम में एकत्र किया जाता है, ताकि पाइप के माध्यम से गांव में

		इसकी आपूर्ति की जा सके।
4		बांस के तने के माध्यम से रिसता हुआ जल।

5		पाइप निर्गम के साथ स्प्रिंग का जल
	स्प्रिंग के रूप में अस्वीकार करें	
6		सीढ़ी नुमा खेत पर सिंचाई के लिए सीमेंटेड टैंक का उपयोग, जिसमें प्लास्टिक पाइप के माध्यम से स्थानीय जल निकासी लाइन से जल भरा जाता है

7		भूजल के फैलाव से जल एकत्र करने के लिए पत्थर की चिनाई वाली कृत्रिम संरचना (तालाब/पोखर आदि)
8		स्थानीय जल निकासी लाइन (नाला) जिसमें जल अचानक धरती से बाहर नहीं निकल रहा है।

9		जल प्रपात- स्थलाकृतिक ऊंचाई से गिरने वाली जल धारा
10		जल प्रपात- स्थलाकृतिक ऊंचाई से गिरने वाली जल धारा

11		स्थलाकृतिक गर्त के कारण पहाड़ी की चोटी पर वर्षा का जल एकत्र होना
12		तलहटी पर सतही/अधोसतही अपवाह के संचय के कारण निर्मित आर्द्रभूमि

13		यह एक बावड़ी है जिसमें केवल विसरित रिसाव जल है
14		नाले की खुदाई के दौरान निकला जल का रिसाव

*****

अनुलग्नक- III

स्प्रिंग की प्रथम गणना का शैडयूल

स्प्रिंग की प्रथम गणना

संदर्भ वर्ष 2023-24

स्प्रिंग शैडयूल

ग्रामीण-1/शहरी-2

I पहचान विवरण (प्रयुक्त किये जाने वाले मानक कोड)

(क) राज्य..... कोड (ख) जिला..... कोड

ग्रामीण क्षेत्र के लिए

(क) ब्लॉक/तहसील..... कोड (घ) गांव को

शहरी क्षेत्र के लिए

(ङ) नगर/नगरपालिका..... कोड (च) वार्ड नं.

गांव/नगर में स्प्रिंग की क्रम

स्प्रिंग के लिए विशिष्ट पहचान कुंजी, उपसर्ग 'S' **के साथ** *(*यदि शहरीहै तो *नगर* और वार्ड के लिए कोड दें)

ग्रा/ रा ज़िला तहसील/नगर/ब्लॉक गांव/वार्ड गांव/नगर के भीतर क्रम संख्या

सर्वेक्षण का समय मुहर*[*/दि.दि.-मा.मा.-व.व.व.व. घं.घं:मिनट*]*

II स्प्रिंग विवरण

1. स्थान संबंधी जानकारी

अक्षांश*(*डिग्री देशांतर*(*डिग्री दशमलव) ऊंचाई*(m, a.m.s.l.)*

2. स्प्रिंग का स्थानीय नामकरण (तालिका से डेटा प्राप्त करें) .....

3. स्प्रिंग का प्रकार: मुक्त प्रवाह-1, लघु स्रोत-2 कोड

4. स्प्रिंग का स्वाभाव: बारहमासी-1, मौसमी-2, सूखे-3 कोड

5. क्या यह स्प्रिंग पिछले १० वर्षों में उभरा हैं ?:हाँ-1, नहीं-2 कोड

6. क्या बरसात के मौसम में स्प्रिंग से गन्दा (मटमैला) पानी निकलता है? हाँ-1, नहीं-2 कोड

7. स्प्रिंग और उसके आसपास की सफाई : संतोषजनक-1, असंतोषजनक-2 कोड

8. स्प्रिंग का स्वामित्व: सार्वजनिक-1, निजी-2 कोड

9. क्या पानी इकट्ठा करने के लिए कोई चैंबर/टैंक है? हाँ-1, नहीं-2 कोड

10. **क्या स्प्रिंग से पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति होती है**? हाँ-1, नहीं-2 कोड

11. अतिरिक्त विवरण के लिए तीन चित्र **लीजिए**

(a) स्प्रिंग का करीब से फोटो (क्लोज़-अप) शॉट *(स्प्रिंग निर्गम* से लगभग *2* मीटर की दूरी पर)

III स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ

1. क्या स्प्रिंग का जल प्रवाह मापा जा सकता है? हाँ-1, नहीं-2 कोड

2. स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या *[*यदि *III (1)* का उत्तर 'हां' है अर्थातकोड-*1]*

आयतन*(*लीटर में) अवधि *(*मिनट:सेकंड) जल प्रवाह *(*लीटर प्रति मिनट)

3. प्रवाह की मौसमी परिवर्तनशीलता: उच्च-1, निम्न-2 कोड

4. पिछले 10 वर्षों में प्रवाह का रुझान:

अत्यधिककमी-1, किंचित् कमी-2, कोई परिवर्तन नहीं-3, वृद्धि-4 कोड

5. स्प्रिंग के पानी का रंग: रंगहीन-1, रंगीन-2 कोड

6. स्प्रिंग के पानी की गंध: स्वीकार्य-1, अस्वीकार्य-2 कोड

7. स्प्रिंग के पानी का स्वाद: आपत्तिजनक-1, अनापत्तिजनक-2 कोड

8. स्प्रिंग के पानी का तापमान: गर्म-1, ठंडा-2 कोड

IV अन्य सूचना

1. स्प्रिंग अपस्ट्रीम (ऊपरी भाग) में प्रमुख भूमि उपयोग:

कृषि-1, वन-2, चारागाह-3, झाड़ियाँ-4, बस्ती-5 कोड

2. स्प्रिंग के स्थान के आसपास भूमि उपयोग**:**

कृषि-1, वन-2, चारागाह-3, झाड़ियाँ-4, बस्ती-5 कोड

3. संसाधन ख़तरा: हाँ-1, नहीं-2 कोड

यदि IV (3) का उत्तर 'हां' अर्थात कोड-1 है, तो निम्नलिखित विवरण भरें,

(क) खतरे की डिग्री: कम-**1,** मध्यम-**2,** उच्च-**3** कोड

(ख) खतरे के लिए उत्तरदायी प्रमुख तनाव *(*वरीयता क्रम में तीन कोड तक):

सूखा-1, वन अग्नि-2, परिशोधन/नाली कटाव-3, भूस्खलन/धंसाव-4, कोड

भूकंप-5, हिमस्खलन-6, शहरीकरण-7, वनों की कटाई-8, प्रदूषक भार-9, कोड

गैर देशीपादपों का पुन:स्थापन -10, पशुचराई-11, खनन-12, अन्य-13 कोड

4. स्प्रिंग के पानी का उपयोग *(*वरीयता क्रम में तीन कोड तक): कोड

पीना/खानापकाना-1, धुलाई/स्वच्छता, मवेशी/पशुधन-3, कोड

सिंचाई-4, औद्योगिक-5, अन्य-6 कोड

5. निर्भरता प्रकार: निवासी-*1,* अनिवासी-*2,* वन्य जीव-*3* कोड

यदि IV (5) का उत्तर 'निवासी' अर्थातकोड-1 है, तो निम्नलिखित विवरण भरें,

(क) कुल निर्भर जनसंख्या:

6. निर्भरता स्तर: निम्न-*1,* मध्यम-*2,* उच्च-*3* कोड

7. जल का अन्य उपलब्ध स्रोत *(*यदि लागू हो तो एकाधिक विकल्प चुनें):

अन्यस्प्रिंग-1, पाइप सप्लाई-2, हैंडपंप-3, खात कूप (डगवेल)-4, तालाब-5, कोई नहीं-6, अन्य-7 कोड

8. क्या स्प्रिंग हेतु कोई स्प्रिंगशेड/वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम चला है? कोड

हां-1, नहीं-2, ज्ञात नहीं-3

यदि कोई टिप्पणियां हो:

जांचकर्ता*:*

नाम:

पर्यवेक्षी अधिकारी का पदनाम:

मोबाइलसं.*:*

गणनाकार के हस्ताक्षर:

नाम:

गणनाकार का पदनाम:

मोबाइलसं.*:*

*****

अनुलग्नक- IV

प्रथम स्प्रिंग गणना के शैडयूल के लिए सत्यापन जाँच

मद/क्षेत्र	**सत्यापन जाँच**	**विशेष जांच (उच्चमान की पुनः जांच के लिए हाउलर जांच को अलग फॉर्म में दर्शाया जाना चाहिए)**
[1] पहचान विवरण		
गांव/नगर के अंदर स्प्रिंग की क्रम संख्या	विशिष्ट गांव/नगर के लिए अद्वितीय तथा शून्य से अधिक होनाचाहिए	इस क्रम संख्या का उपयोग स्प्रिंग के लिए विशिष्ट पहचान कुंजी के निर्माण में किया जाएगा। क्रम संख्या के बिना शैडयूल प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
[2] **स्प्रिंग** विवरण		
2.1. स्थान संबंधी जानकारी		
2.2. स्प्रिंग का स्थानीय नामकरण	मान केवल पाठ में होना चाहिए.	विशेष वर्णों के मामले में त्रुटि दिखाएँ
2.3. स्प्रिंग प्रकार	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2.4. स्प्रिंग प्रकृति	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं यदि मद 2.4 में कोड 3 है, तो शैडयूल यहीं पूरी कर दी जाएगी तथा आगे कोई जानकारी एकत्रित नहीं की जाएगी	
2.5. क्या यह कोई नया उभरा हुआ स्प्रिंग है [गत 10 वर्षों के भीतर]	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2. 6. क्या वर्षा ऋतु में स्प्रिंग से गन्दा (मटमैला) जल निकलता है?	वैध कोड 1 और 2 हैं	

2. 7. स्प्रिंगके अंदर और आसपास स्वच्छता	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2.8. स्प्रिंग स्वामित्व	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2.9. क्या पानी इकट्ठा करने के लिए कोई चैंबर/टैंक है?	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2.10. क्या स्प्रिंग से पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति होती है?	वैध कोड 1 और 2 हैं	
2.11. अतिरिक्त विवरण के लिए तीन चित्र लें		
[3] स्प्रिंग की सामान्य भौतिक विशेषताएँ		
3.1. क्या स्प्रिंग जल प्रवाह को मापा जा सकता है?	वैध कोड 1 और 2 हैं	
3.2. स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या	(i) यदि मद 3.1 में कोड 1 है तो मद 2 भरा जाएगा, अन्यथा मद 3.2 छोड़दिया जाएगा। (ii) 'स्प्रिंग निर्गम कीसंख्या' में दिया जाने वाला मान >0 होना चाहिए	'स्प्रिंग स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या' में दिए गए मान के अनुसार आयतन (लीटर में) और अवधि (मिनट:सेकंड) भरी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि स्प्रिंग जल निकासों की संख्या 2 है, तो दो निर्गम के लिए आयतन और अवधि भरी जाएगी।
3.3 प्रवाह की मौसमी परिवर्तनशीलता	वैध कोड 1 और 2 हैं	
3.4. पिछले 10 वर्षों में प्रवाह का रुझान	वैध कोड 1,2,3 और 4 हैं	

3.5 स्प्रिंग के पानी का रंग	वैध कोड 1 और 2 हैं	
3.6 स्प्रिंग के पानी की गंध	वैध कोड 1 और 2 हैं	
3.7 स्प्रिंग पानी का स्वाद	वैध कोड 1 और 2 हैं	
3.8 स्प्रिंग के पानी का तापमान	वैध कोड 1 और 2 हैं	
[4] अन्य सूचना		
4.1 स्प्रिंग अपस्ट्रीम (ऊपरी भाग) में प्रमुख भूमि उपयोग	वैध कोड 1, 2, 3, 4 और 5 हैं	
4.2 स्प्रिंग के स्थान के आसपास भूमि उपयोग	वैध कोड 1,2,3,4 और 5 हैं	
4.3 संसाधन ख़तरा	वैध कोड 1 और 2 हैं [यदि मद 4.3 में कोड 1 है तो मद 4.3(क), और 4.3(ख) भरा जाएगा]	
4.3(क) खतरे की डिग्री	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं	
4.3(ख) खतरे के लिए उत्तरदायी प्रमुख तनाव	वैध कोड 1 से 13 तक हैं	केवल तीन कोडही भरे जाने चाहिए।
4.4 स्प्रिंग के पानी का उपयोग	वैध कोड 1 से 6 तक हैं	केवल तीन कोडही भरे जाने चाहिए।
4.5 आश्रित प्रकार	वैध कोड 1, 2 और 3 हैं [यदि मद 4.5 में कोड 1 है, तो मद 4.5(क)]	
4.5(क) कुल आश्रित जनसंख्या	दिया जाने वाला मान >0 होना चाहिए	

4.6 निर्भरता स्तर	वैधकोड 1,2 और 3 हैं	
4.7 जल के अन्य उपलब्ध स्रोत	वैध कोड 1 से 6 तक हैं	एकाधिक कोड भरे जा सकते हैं।
4.8 क्या स्प्रिंग हेतु कोई स्प्रिंगशेड/वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम चला है?	वैध कोड 1,2 और 3 हैं	

*****

अनुलग्नक- V

निधि का प्रावधान

विभिन्न अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सौंपे गए कार्य की सराहना के प्रतीकस्वरूप और अतिरिक्त कार्य के लिए क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक के रूप में नहीं अपितु, वो अधिकारी जो जिला/ब्लॉक/गांवस्तर पर फील्ड कार्य, जांच, फील्ड कार्य और शैडयूल के निरीक्षण में शामिल होंगे, उन्हें स्प्रिंगों की प्रथम गणना के लिए उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जो कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'सिंचाईगणना' योजना द्वारा जारी अनुदान से लिया जाएगा। प्राथमिक और पर्यवेक्षी कार्य के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिए मानदेय के लिए अनुदान की दरें नीचे तय की गई हैं। प्रत्येक जिले और ब्लॉक के लिए मानदेय तय है और यह अपेक्षित है कि प्रत्येक जिलेऔर ब्लॉक से केवल एक अधिकारी भरी हुई शैडयूलस के भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्र मेंजाएगा।

मानदेय की दरें:

स्प्रिंग की प्रथम गणना में, क्षेत्र कार्य के समन्वय, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए मानदेय की दरें निम्नानुसार होंगी:

तालिका 1: प्रथम स्प्रिंग गणना के संचालन में शामिल विभिन्न व्यय की दर

क्र. सं.	**वस्तु**		**दर (रु. में)**
I	**मानदेय**		
i.	गणनाकारके लिए प्रति स्प्रिंग क्षेत्र भत्ता (अधिकतम)	श्रेणी-I राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	750/-
		श्रेणी-II राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	500/-
		श्रेणी-III राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	400/-
		श्रेणी-IV राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	250/-
ii.	ब्लॉक स्तरीय अधिकारी		960/-
iii.	जिला स्तरीय अधिकारी		1320/-
iv.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के अधिकारी		3600/-
II	**प्रति स्प्रिंग आकस्मिकता**		75/-
III	प्रति स्प्रिंग कम्प्यूटरीकरण लागत (सत्यापन सहित अधिकतम)		3/-
IV	**प्रति स्प्रिंग स्मार्ट फोन का उपयोगकर्ता शुल्क**		5/-

आकस्मिक राशि का व्यय किया जाना है

i. गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को राज्य/जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना

ii. स्प्रिंग गणना के लिए विज्ञापन, प्रचार, जन जागरूकता आदि,

iii. गणना के दौरान पर्यवेक्षीकार्य के लिए राज्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिवहन।

iv. जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण मानदेय प्रदान करना, जो गणनाकारों और ब्लॉक स्तर के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, परिवहन सहित अधिकतम 1650/- रुपये प्रतिदिन तक।

v. प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए गणनाकार/ब्लॉक अधिकारी को वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता के रूप में 165/- रुपये प्रदान करना और

vi. गणना के दौरान उत्पन्न होने वाले आकस्मिक प्रकृति के अन्य अप्रत्याशित विविध व्यय, जो प्रथम स्प्रिंग की गणना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत कुल आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

स्प्रिंगों की गणना के लिए प्रति स्प्रिंग 75/- रुपये की आकस्मिक राशि का प्रावधान किया जाएगा।

क्षेत्र भत्ता:

स्प्रिंग गणना के संचालन के लिए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रथम स्प्रिंग गणना में गणनाकारों, ब्लॉक स्तर, जिला, राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए क्षेत्र भत्ते का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र भत्ता लचीला है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपने राज्यों में स्प्रिंगों की संख्या, दूरी और भूभाग को ध्यान में रखते हुए उचित विचार-विमर्श के बाद तय किया जाना चाहिए। स्प्रिंग गणना करते समय स्थलाकृति की प्रकृति और भूभाग को पार करने में कठिनाई के आधार पर राज्यों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है।

तालिका 2: स्थलाकृति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की श्रेणी

श्रेणी	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**
I.	**अत्यंत कठिन स्थलाकृति**
1.	लद्दाख
2.	हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति
3.	अरुणाचल प्रदेश
II.	**उच्च कठिन स्थलाकृति**
1.	केरल
2.	नगालैंड
3.	मणिपुर

4.	मिजोरम
5.	त्रिपुरा
6.	जम्मूऔर कश्मीर का कश्मीर प्रभाग
III.	**मध्यमरूप से कठिन स्थलाकृति**
1.	असम
2.	लाहौल और स्पीति को छोड़कर हिमाचल प्रदेश
3.	उत्तराखंड
4.	जम्मूएवं कश्मीर का जम्मू प्रभाग
5.	मेघालय
6.	सिक्किम
IV.	**सौम्य स्थलाकृति**
1.	आंध्रप्रदेश
2.	बिहार
3.	छत्तीसगढ
4.	गुजरात
5.	हरियाणा
6.	झारखंड
7.	कर्नाटक
8.	मध्यप्रदेश
9.	महाराष्ट्र
10.	ओडिशा
11.	पंजाब
12.	राजस्थान
13.	तमिलनाडु
14.	तेलंगाना
15.	उत्तर प्रदेश
16.	पश्चिमबंगाल
17.	अंडमानएवं निकोबार द्वीप समूह
18.	चंडीगढ़
19.	दादराएवं नगर हवेली
20.	दिल्ली
21.	दमनएवं दीव
22.	गोवा
23.	लक्षद्वीप

24.	पुदुचेरी

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रतिपूर्ति के आधार पर निधियाँ जारी की जाएँगी। गणना के बाद, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उल्लिखित मानदंडों का पालन करते हुए निधियों को जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। मानदेय की प्रतिपूर्ति तालिका 1 के अनुसार की जाएगी। चूँकि पूरे राज्य में भूभाग एक समान नहीं है, इसलिए गणना के बाद, राज्यों से उन जिलों के नाम बताने के लिए कहा जाएगा जो राज्य के शेष हिस्सों की तुलना में अधिक ऊँचाई पर हैं और तदनुसार, राज्य को स्वीकार्य मानदेय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

*****

अनुलग्नक- VI

मोबाइल की विशिष्टताएँ

डेटा संग्रहण केलिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:

1. ऐन्ड्रॉइड (Android) संस्करण 10 से ऊपर होना चाहिए
2. न्यूनतम संग्रहण 10 GB होना चाहिए
3. रैम न्यूनतम 6 GB होनी चाहिए
4. ROM न्यूनतम 10 GB होना चाहिए
5. बैटरी 2500 - 4000 mAh होनी चाहिए
6. स्थान सेंसर अनिवार्य है

*****

स्क्रूटनी जाँच बिंदु

1. यदि 2.4 = 1 है, तो 3.1 = 2 नहीं हो सकता [यदि कोई स्प्रिंग बारहमासी है, तो उसका डिस्चार्ज शून्य नहीं हो सकता]
2. यदि 2.4 = 3 है, तो 2.4 के बाद के सभी फील्ड खाली होने चाहिए [सूखे स्प्रिंग के लिए प्रपत्र मद 2.4 पर समाप्त हो जाता है, इसलिए इसके बाद कोई प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए]
3. यदि मद 3.1 = हाँ है, तो मद 3.2 > 0 होना चाहिए [यदि स्प्रिंग का डिस्चार्ज मापा गया है, तो स्प्रिंग के आउटलेट की संख्या शून्य से अधिक होनी चाहिए]
4. यदि मद 3.2 = 0 है, तो मद 3.2 में डिस्चार्ज का मान भी शून्य होना चाहिए [यदि आउटलेट की संख्या शून्य है, तो डिस्चार्ज भी शून्य होना चाहिए]
5. मद 3.2 में आउटलेट 1, आउटलेट 2, आउटलेट 3 आदि के डिस्चार्ज बिल्कुल समान नहीं होने चाहिए [एक से अधिक आउटलेट वाले स्प्रिंग में सभी आउटलेट का डिस्चार्ज समान नहीं होना चाहिए]
6. यदि 3.8 = 1 है, तो 3.8 के बाद के सभी फील्ड खाली होने चाहिए [गरम स्प्रिंग (hot springs) के लिए प्रपत्र 3.8 पर समाप्त हो जाता है, इसलिए इसके बाद कोई प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए]
7. यदि मद 4.5 = 3 है, तो मद 4.1 और 4.2 = 2 या 3 या 4 होने चाहिए [यदि आश्रित प्रकार जंगली जानवर हैं, तो स्प्रिंग के आसपास का भूमि उपयोग/भूमि आवरण केवल वन या चरागाह या झाड़ियाँ होना चाहिए[1]]
8. यदि मद 4.5 = 2 या 3 है, तो 4.5 (a) खाली होना चाहिए [यदि आश्रित प्रकार गैर-निवासी या जंगली जानवर हैं, तो आश्रित जनसंख्या नहीं होगी]
9. यदि मद 4.6 = 1 या 2 है, तो मद 4.7 = 6 नहीं होना चाहिए [यदि निर्भरता स्तर कम या मध्यम है, तो अन्य उपलब्ध जल स्रोत 'कोई नहीं' नहीं हो सकता]
10. यदि मद 3.5 = 2 और मद 3.6 = 2 है, तो मद 3.7 = 1 (आपत्तिजनक) होना चाहिए और मद 4.4 = 1 (पेयजल उपयोग) नहीं होना चाहिए [यदि स्प्रिंग का पानी रंगीन है और उसकी गंध स्वीकार्य नहीं है, तो उसका स्वाद आपत्तिजनक होना चाहिए और पानी पेय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए]

*****

[1]यह शर्त कुछ राज्यों में शिथिल की गई है, क्योंकि वन सीमाओं के पास कृषि भूमि पाई जाती है जहाँ जंगली जानवर स्प्रिंग के पानी का उपयोग करते हैं।

अतिरिक्त सत्यापन जाँच बिंदु

मद संख्या	मद/फील्ड	जाँच
3.1	क्या स्प्रिंग का जल प्रवाह मापा जा सकता है?	जब स्प्रिंग मुक्त प्रवाह (free flow) में हो लेकिन मद 3.1 में डिस्चार्ज मापा नहीं जा सकता हो, तो चेतावनी दिखाएँ
3.2	स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या	जब मद 3.2 (आउटलेट) में स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या 3 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ
3.2	स्प्रिंग के जल निकासों की संख्या (जल प्रवाह)	जब मद 3.2 (जल प्रवाह) में स्प्रिंग का जल प्रवाह 100 लीटर प्रति मिनट से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ
3.7	स्प्रिंग के पानी का स्वाद	जब स्प्रिंग का पानी रंगीन हो तथा उसकी गंध/दुर्गंध स्वीकार्य न हो, लेकिन मद 3.7 में स्वाद "आपत्तिजनक नहीं" दर्ज किया गया हो, तो चेतावनी दिखाएँ
4.4	स्प्रिंग के पानी का उपयोग	जब स्प्रिंग का पानी रंगीन हो या उसकी गंध/दुर्गंध स्वीकार्य न हो या स्वाद आपत्तिजनक हो, फिर भी मद 4.4 में इसे पेय/पकाने के लिए उपयोग दर्शाया गया हो, तो चेतावनी दिखाएँ
4.5 (a)	कुल निर्भर जनसंख्या	जब स्प्रिंग निजी स्वामित्व (Privately Owned) में हो और मद 4.5(a) में आश्रित जनसंख्या 100 से अधिक हो, तो चेतावनी दिखाएँ
4.7	जल का अन्य उपलब्ध स्रोत	जब मौसमी स्प्रिंग पर उच्च निर्भरता हो और मद 4.7 में अन्य उपलब्ध जल स्रोत "कोई नहीं" दर्शाया गया हो, तो चेतावनी दिखाएँ

*****



अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

For further details, please contact

स्प्रिंग अध्ययन प्रकोष्ठ,
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,
रुड़की, उत्तराखण्ड
ई मेल : dir.nihr@gov.in

लघु सिंचाई (सांख्यिकी) स्कंध,
नई दिल्ली
ई मेल : mistat-mowr@gov.in

Cell for Spring Studies,
National Institute of Hydrology,
Roorkee, Uttarakhand
Email: dir.nihr@gov.in

Minor Irrigation (Statistics) Wing,
New Delhi
Email: mistat-mowr@gov.in

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
Ministry of Jal Shakti, Government of India